

decisions on motions on the floor of the House.

**SHRI KRISHAN KANT :** Agreed.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** We have now the Report under discussion. The discussion on the Report will now continue.

**SHRI KRISHAN KANT :** You should not take the plea later on that this will not be discussed.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** That is not going to be discussed here.

**SHRI LOKANATH MISRA :** One thing. It is evident that it is a separate motion. It is different from the report under discussion.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** You can bring in all the points, if you want, on this

**श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) :** मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप रिपोर्ट पर डिस्कशन करा रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर कंसन यहां पर मौजूद नहीं है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मिनिस्टर कंसन यहां पर नहीं है इसलिए इस पर डिस्कशन आफ्टर लंच किया जाय।

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** Mr. Ramaswamy, the Deputy Minister, is there.

**MR. ANANDAN :** I have called you. Please begin your speech.

**MOTION RE. THE NINETEENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR THE YEAR 1969-70—Contd**

**SHRI T. V. ANANDAN (Tamil Nadu).** Mr. Deputy Chairman, Sir, the 19th Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1969-70 contains about 97 recommendations and observations. May I now call the attention of the Government to the previous 18 reports, on behalf of these unfortunate citizens of our country, whose number exceeds one-

fifth of the population? Their number may be more according to the 1971 census. I call them unfortunate because of the situation in which they are placed today after 25 years of independence.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** You may continue after lunch.

**SHRI T. V. ANANDAN :** Yes.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** The House stands adjourned till 2 P. M. The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock. **MR. DEPUTY CHAIRMAN** in the Chair.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** Yes, Mr. Anandan.

**SHRI T. V. ANANDAN :** Sir, I was referring to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as unfortunate. Sir, they are unfortunate because they have not shown any progress in the last 25 years of our independence. Sir, we say it is an inevitable inequality and historical exploitation. If it is historical exploitation, I will have to go to the period of Manu, Manu who gave Dharma to India, but for these unfortunate Scheduled Castes and Tribes it is Manu Adharma. If it is not so, how could Adharma and Dharma have been given by Manu? If I may go further, if there is a God who has created a section of the human beings with such an unequal status, if any God has created them, I think that God has to be cursed not by me but by those unfortunate Scheduled Castes and Tribes. Knowing pretty well the situation of these Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this Country the Father of the Nation had to go on a fast unto death. Then came the politicians to solve the problem, to see that these Scheduled Castes and Scheduled Tribes did not secede from Hinduism, and they have created a consolidated 'ism' through the fasting of the Father of the Nation.

Then we had got the independence. Our leaders have enacted so many constitutional safeguards and protection for these unfortunate Scheduled Castes and Scheduled

Tribes. But has any one of them been fully and sincerely implemented? Sir, they have put so many articles in the Constitution, article 15, article 17, article 29, article 46, everything is there. Yet the exploitation is visible; although it may not be in the cities and towns where industrial expansion has taken place, in the rural parts of our country in the 6 lakhs of villages, these unfortunate Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being exploited and they are in the same condition as they were in the period of Manu. Many things have been done.

Parliamentary Committees have been appointed. Even the Home Minister had to head a Committee in 1968 and 1969 to see how these Scheduled Caste and Scheduled Tribe people could be encouraged and brought to the level of the highly-placed communities in this country. Directors-General have been appointed, under them Directors in each State also have been appointed. Yet, I say none of the recommendations of these Committees and these Welfare Commissions have ever been fully implemented. In the Third Five Year Plan it is said that they have spent Rs. 277 crores. Where did it all go? Can the Government prove by facts, figures and statistics how many house-building advances have been given to these people, to how many of them house-sites, lands, have been allotted. The Scheduled Castes' Welfare Committee clearly stated that the Ministries in the Government of India are unable to furnish any record to prove that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have been granted this, that and the other. Nothing has been done for them although they say that Rs. 277 crores have been spent. In Bihar, it has gone into the hands of the contractors. The Bihar Government had given contracts on behalf of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes about house-building advances and the contractors have been the beneficiaries and not these people.

Educationally also, we say that we have done this to them, that we have given them grants, we have given them reservations in the medical colleges, etc. Is there any difference between a Scheduled Caste candidate and a highly-placed community candidate? The capitation fee of Rs. 10,000 is taken even from him. What is the good of the Government of India saying that they are granting such high educational facilities to them but they are unable to meet them.

There was a suggestion that this sum should be met by the Government but that has not been accepted. I do not know whether the State Governments considered this aspect or even the Central Government. There is an examination fee. It is exempted only for two years. Why should it not go up to 1980 just as the Constitutional safeguards have been extended up to 1980? This concession should be extended up to 1980 on par with other Constitutional safeguards.

About class III promotional chances, there is reservation made. Yet I have got cases in the Railway Ministry where the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates who have been promoted by a process of selection, they now stand reverted. There is nobody to take up their cases and plead before the Railway Ministry except us. Whatever there is in the law, nothing is being executed in practice, that is the experience that I have gained as far as the Railways are concerned. There are so many class IV people. A Class IV Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidate is treated with difference, he is not taken back to duty. At the same time, a highly-placed community man, even if he is at fault and he makes a representation to the Minister, the Minister immediately orders him to be reinstated, whereas a Scheduled Caste or Scheduled Tribe man who is removed from service is not given consideration. That is why I say that equal consideration should be given to everybody, whether he be a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe man or any other person.

Another point that I come across is that he has to get the 'community certificate' from a gazetted officer. How can a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe candidate go in search of a Member of Parliament or a gazetted officer of the Government? Why not this be entrusted to the Panchayat Board President or the Panchayat Board members? You have yourself stated that Panchayati Raj is being extended and that special consideration is given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Why can't the Panchayat Board member himself certify about the community qualification? Why should it be by a Government servant? If he is living in a rural part which is 10 miles away from the town, he has to go 10 miles

to find an MLA or an MP or a revenue official for that. They can eliminate these difficulties of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people.

In the Fourth Five Year Plan, I know that about Rs 142 crores are being allotted for the development of the Scheduled Tribes. It should be properly implemented. It is no good asking the State Governments about this, it is the duty and responsibility of the Central Government to look after them because they are being exploited by all the political parties. You cannot blame them, these Scheduled Castes and Scheduled Tribes because their standard of living, their education, their association etc. are such that they fall easily a prey to these people. Now for the last twenty years everywhere in the rural parts of the country they have attained a status. But today after the prohibition has been lifted I find their social condition is deteriorating all over. Sir, we have attained freedom through the sacrifice of our leaders. Those leaders did not care that they would come to power. But they made sacrifices for the sake of the country and independence. Therefore, let those who are in power today see that whatever decisions are recommended by some Commission are immediately implemented.

One more thing before I close. Let there be a representative officer in every Central Government Department instead of one Director in one State to look after the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Let that officer sit in each department. This Scheduled Caste Officer will solve the unemployment problem. This officer from the Scheduled Castes should be directly under the head of the department, answerable to the head of the department. He should be put there to look after all the grievances and to redress them and to see that the recommendations of the Commissions are implemented properly.

I have tried to cover some of the points in my short speech. My another colleague is also to participate in the debate. Therefore, with these words I resume my seat.

SHRI N. JOSEPH (Andhra Pradesh). Mr. Deputy Chairman, Sir, we are now discussing the report of the Commissioner for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Commissioner has

given his opinion on the subject. I give my own suggestions on this subject.

Sir, these castes were subjected to oppression specially, economically and culturally for centuries immemorial because of the caste system which brought a vast difference socially, economically and culturally between one caste and the other. Because of the caste system these scheduled castes were given a profession that amounted to slavery and created a psychological, religious and so called ethical superiority complex in the minds of the higher castes and inferiority complex in the minds of the oppressed communities who were and are being treated as untouchables. Because of this inhuman division on caste-basis humiliation, poverty, ignorance and uncleanness reigned in their segregated cheries. Our national leaders who had the experiences of pangs of this humiliation at the hands of the imperialists are now determined to uplift this unfortunate section of the society from that degradation. But all their attempts to remove the vast disparities without touching the caste system which is the root cause of all these evils is like selecting a wrong medicine for a disease. I am not one of those who believe that this is possible without removing the caste system. And yet we must make the best use of the measures being adopted by our Government and leaders like the people's representatives.

The present leadership of our country is determined to go still further to help solve this headache to bring about changes in the social, economic and cultural field. In spite of such revolutionary ideas we are not able to do much in the way of removing these disparities.

Sir, the leadership, to whichever party they belong, due to patriotic zeal and spirit moved them to fight against imperialism. Now they are at the helm of the affairs of the country and are able to maintain democracy and introduce socialism. But I am afraid the caste system may again rear its head which may endanger democracy itself if it is not removed. Sir, several laws have been framed prohibiting untouchability, but I am sorry to say that no progress has been made in this direction. What are the reasons? It is a fact that the propaganda of caste system has been on the increase after the attainment of independence. This

has been done by some of the local political leaders who wanted to make use of this system for their selfish ends. Sir, a national forum should be formed to frame a code of conduct to eliminate this heinous propaganda.

With a view to removing disparities, our Government has formulated several schemes which include grant of house sites, construction of houses and grant of waste lands. But while granting house sites and houses, the Harijans were given house sites in a place two to three miles away from the village proper. This has created a segregation which makes them feel that they are not one with the other communities. These Harijans being so poor can neither refuse the grant, fearing that they would lose the opportunity, nor fight against the segregation, for fear of opposition. As the selection of the sites is placed in the hands of the Parishad and Samiti heads, they safeguard the interests of the landlords, whose lands are adjacent to the village and are most suitable, but these landlords refuse to give their lands. It is these heads of Panchayati Raj who have been mostly responsible for the increase in the caste system and exploitation.

Coming to educational facilities and jobs, in the matter of reservation of seats in professional colleges and services, we find that the implementation is a failure. Why? The whole official machinery is responsible for this failure. They are not taught patriotism, from the beginning of Imperialist rule. We do not have any change. The same old Imperialist machinery which harassed our people, which shot down our people and imprisoned our people has been continued and their progeny is now in the officialdom of the Government. That is why these things are happening. In addition, many of the heads are fully imbued with the spirit of caste distinctions and feelings. Hence seminars and conferences should be held with the representatives of leaders of all political parties, Government officials, trade union leaders, including the NGOs, etc., and intellectuals to formulate a code of conduct with their consent and oath of patriotism to the mother country which is essential for this change.

Now, coming to the list of Scheduled Castes, I appeal to the noble ideals of hon. Members of this House to do justice to one section of the Scheduled Castes who are denied inclusion in the list of Scheduled Castes based on their religion. Harijans include Harijan Christians also, but they are excluded. They are living in the same 'cheri', in the same huts, undergoing the same suffering, the same disabilities of poverty, ignorance and all sorts of humiliations of this caste system. In spite of that, one and the same caste is divided into two sections, one section being included in the list of Scheduled Castes and allotted all special privileges, while the other section is denied all these privileges merely because they are Christians. How can change of faith change the social, economic and cultural conditions of a person? It is impossible. They belong to one and the same caste. They are undergoing the same disabilities. So, the exclusion of one section of this caste is against the Constitutional and moral basis of our socialist and secular Government. It is against the spirit of secularism to divide one caste on the basis of religion. When we say Scheduled Castes, caste is taken as the basis for classification. When we say particular section of people from one caste, how can we divide that one caste on the basis of religion? We cannot apply the basis of religion for classifying castes and say that a particular section of the same caste cannot be given special privileges. That is to ally against the spirit of secularism in our State. You cannot ignore one society. For example, in Andhra Pradesh, there are 35 lakhs of Christians out of whom 99.9 per cent are converts from Scheduled Castes or Malas or Madigas as they are called in that region. They are undergoing the same disability. They are being ill-treated. Even today in the name of a socialist Government, in the name of secularism, these people are being harassed. Harijans are being harassed, not only Harijans, Harijan Christians also. There is now distinction between Christians and Harijan Christians. A Christian convert from the caste is not dining with a Harijan Christian. He is not giving his daughter in marriage to a Harijan Christian. They are not living in the same place. Such differences are existing between the caste Christians and Harijan Christians. How can we deny the same privileges for

a section of the same society ? This is most immoral, most unjust, in a secular State. Therefore, it is just and right that this noble House passes a resolution recommending to the Government to include them in the list of Scheduled Castes. There was some mischievous argument that the missions have helped these Christians in the past. It is a fallacious argument because even though there are Christian institutions like colleges, high schools, hospitals, and so on, 75 percent of the benefits which these institutions extend are going to non-Christians. Only 20 or 30 per cent of the benefits are actually enjoyed by the Christians either in colleges or in high schools or in hospitals. When such is the case, how can they say that Christians are having so many benefits ? Seventy-five per cent of the benefits are enjoyed actually by non-Christians. Is it not then the right of these Christians—are they not entitled—on the basis of their social and economic conditions to receive the same benefits as are being enjoyed by non-Christians Harijans ? So I would appeal to the House to appoint a Parliamentary committee to investigate into this matter, whether what I say here is right or not, to find out whether there is not discrimination, to find out whether non-Christians are not getting 75 per cent of the benefits extended by these institutions. I appeal that we should submit a petition to the President to see that this discrimination is removed. The President can be addressed by the House to see that all the Scheduled Caste Christians in the whole country are included in the list of Scheduled Castes and justice done to these minority communities which have been undergoing all sorts of trouble all sorts of inhuman treatment, because of casteism. I appeal to the Government in view of the Silver Jubilee Celebration of our Independence it is proper that a Scheduled Caste man is appointed as chairman of the UPSC. I appeal to the Government to the justice to all Scheduled Castes. Then are one with others in blood and in all other respects. We have the same eyes, same ears, same hands and so on as they have. We are human beings as they are. They why should there be this heinous discrimination between caste and caste ? This caste system should be removed. I urge that attempts be made to pass a resolution to that effect.

श्री मानसिंह बर्मा (उत्तर प्रदेश) . उप

सभापति महोदय, हम अनुसूचित जाति और जन जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात् यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा है कि यह रिपोर्ट सरकार की असफलताओं का सही चित्रण है। मैं शब्द सरकार की असफलता का प्रयोग कर रहा हूँ, आयुक्त महोदय की असफलता नहीं। प्रति वर्ष ही आयुक्त महोदय की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में बराबर उन बातों की ओर संकेत किया जाता है। उन की सिफारिशें होती हैं वे अपने अनुभव बताते हैं और अपने सुझाव देते हैं कि यह करने से कार्य में सुधार हो सकता है, किन्तु अगले वर्ष उसी प्रकार की और बातें आती हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता, न कोई परिवर्तन नजर आता है। यह कहने के लिए हमें विवश होना पड़ता है कि सरकार ने कभी भी इस अनुसूचित जाति की समस्या को, छुआछूत की समस्या को, दलित वर्ग के प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न नहीं किया। यदि इसको वह राष्ट्रीय समस्या समझती तो इसके लिए प्रयत्न भी उसी प्रकार से किये जाते कि जिस प्रकार राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। श्रीमन्, जब भी कभी कोई भीषण समस्या देश के सामने आती है तो उसकी भीषणता को देखते हुए उसी प्रकार के भीषण प्रयत्न भी किये जाते हैं। किन्तु हम यह देख रहे हैं कि 25 वर्ष स्वतंत्रता को प्राप्त किए हुए हो गए, स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ हमने अभी मनायी है, प्रत्येक नेता ने प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे की श्रेणी तक के जितने भी नेता थे सबने गला फाड़ फाड़कर यह कहा है कि हरिजनों का हमें ध्यान रखना है, शेड्यूल्ड कास्ट का हमें ध्यान रखना है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हमने यह किया है, वह किया है, लेकिन जब हम सब का लेखा जोखा देखते हैं तो पता यह लगता है कि इस समस्या को सुलझाने में ईमानदारी से

[ श्री मानसिंह वर्मा ]

से काम नहीं लिया गया और केवल इस नाते से कि देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ बना रहे, वह यह महसूस करता रहे कि हमारी मसीहा कांग्रेस ही है, उसको ऐसा महसूस होता रहे कि अगर हमको सहारा मिल सकता है तो केवल इसी पार्टी से मिल सकता है, इस नाते से बड़े-बड़े नारे लिए गए, बड़ी बड़ी नीतियों को सामने रखा गया और बताया गया कि इसमें यह कर रहे हैं, उस में वह कर रहे हैं, यह ग्रान्ट दे रहे हैं, वह रिजर्वेशन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रान्ट दे रहे हैं, किन्तु श्रीमन्, यह मेरा ही कहना नहीं है, आप कमिश्नर की प्रत्येक दर्प की रिपोर्ट्स को उठाकर देख लीजिए तो पता लग जायगा कि सचमुच सरकार ने क्या कुछ किया है। देश के सामने पार्टिशन के पश्चात् लोगों को बसाने की समस्या आयी। उसके लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया गया, रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनायी गयी, उसके लिए एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर आ गया और उस समस्या को सुलझाने में सारा देश एक होकर लग गया। और हमने यह देखा कि कुछ ही वर्षों में उस समस्या का निराकरण हो गया। वह समस्या सुलझ गयी। अभी बंगला देश की समस्या सामने आयी। लाखों की तादाद में शरणार्थी यहां पर आये और उसको एक राष्ट्रीय समस्या मानकर सरकार ने उसके लिए पूरा जोर लगाया। उसके लिए स्पेशल आफिसर्स, स्पेशल अधिकारी नियुक्त किये गए यह समझकर कि इस समस्या को सुलझाना है और उसको सुलझाया गया। लेकिन आज जो सदियों से गुलाम हैं, जो सदियों से दबे हुए हैं, जिनको आज भी सिर उठाने का मौका नहीं है, सिर ढकने के लिए जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, जिन्हें आज तक भी मानवता का अधिकार नहीं मिला है, जिनकी बहू बेटीयों को आज भी जानवर की तरह समझा जाता है, जब चाहे तब उनकी बेइज्जती की

जाती है, और यह सब सच होने पर भी आज तक सरकार ने उनके लिए क्या किया है? श्रीमन्, मैं यह चार्ज कर रहा हूं सरकार को कि सरकार अनुसूचित जाति की समस्या को सुलझाने के लिए ईमानदार नहीं है, केवल एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ बना रहे इसलिए केवल नारे लगाकर उसको वे अपने साथ बनाये रखना चाहते हैं और उसके लिए ही प्रोपैगण्डा किया जाता है। जिनके मतों पर यह सरकार बनती है उनकी यह दुदंशा आज हो रही है और मुझे यह कहने में कोई सकोच नहीं है कि इन तीन वर्षों के अन्दर जो घटनायें सामने आयी हैं, विगत तीन वर्षों के अन्दर जो अत्याचार की घटनायें सामने आयी हैं वह किसी भी सरकार को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती हैं। उन को शर्म आये न या आये उस पर यह दूसरी बात है। एक जनतांत्रिक सरकार और उसके कार्यकाल में इस प्रकार की घटनायें घटें जिनका विवेचन मैं आगे चलकर करूंगा, तो उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सरकार ने ईमानदारी से इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न नहीं किया। एक आई-वाश करने की कोशिश की है, एक दिखावा, मरहम-पट्टी करने की कोशिश की है, उस समस्या को डाइगनोज कर के, उसका पता लगाकर जड़ से उसके मूलोच्छेदन का प्रयत्न नहीं किया।

आयुक्त महोदय की रिपोर्ट पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आयुक्त महोदय को ले लीजिए। उनकी नियुक्ति की गयी। जिस वक्त उनकी नियुक्ति की गयी थी, यह पद जिस समय का बनाया गया था उस समय भी इस बात का प्रयत्न किया गया था और मैं समझता हूं कि विधान के बनाने वालों ने भी इस बात के लिए कुछ इशारा दिया था कि इस प्रकार के जो पद हों उनको संपूर्ण अधिकार दिए जाएं, उनको साधिकार बताया जाय। किन्तु बार-बार, कमिश्नर महोदय के कहने पर भी सरकार ने

अपनी असमर्थता प्रकट की है। अत्याचार होते हैं, इन्वेस्टीगेशन होने है, जांच होती है और उपसभापति महोदय, उसके बाद वे असमर्थ हो जाते हैं।

श्रीमन्, मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहता हूँ कि आयुक्त महोदय ने बार बार इस बात की माग की है कि जिस समय किसी भी केस का इन्वेस्टीगेशन हमें करना पड़े, जो कि हमें करना चाहिए, हमारे कर्तव्य के अन्दर यह है, हमारी ड्यूटी के अन्दर यह आता है, उस समय हमारी पहुँच आफिस की गुप्त से गुप्त फाइल तक हो, हम गुप्त से गुप्त बातें सामने ला करके जांच कर सकें। जब यह कहा गया—मैं यह कोट करता हूँ, यह पेज 63 पर है :

"While making provision for the appointment of the Special Officer (designated by Govt as Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) under Art 338 of the Constitution, and for the functions to be discharged by him, the Constitution-makers did not prescribe the procedure that this Officer may adopt in the matter of investigation of the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government also, while making appointment of the Commissioner, did not find it necessary to prescribe such a procedure. It has apparently been done purposely so that Commissioner is allowed a free hand in deciding the best method for investigations according to the needs of the situation."

कमिश्नर को यह पूर्ण अधिकार दिए जाय, उसको स्वतन्त्रता दी जाय कि जिस प्रकार वह इन्वेस्टीगेशन करे, इसके लिए होम मिनिस्ट्री को लखा गया तो होम मिनिस्ट्री का जवाब है :

"That advice of the Ministry of Home Affairs was that it might not be appropriate to call for official files in such cases as such a procedure was likely to be taken by the authorities concerned as indicative of distrust in them"

गृह मंत्रालय कहता है कि इस प्रकार का प्रोसीजर अगर हम चालू करेंगे, अपनायेंगे, तो उससे ऐसा पता लगेगा कि उन अधिकारियों के एक अविश्वास की भावना इन्वेस्टीगेटिंग अथारिटीज के अन्दर है।

तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमेशा से ही इस बात का प्रयत्न किया कि कमिश्नर बना दिया लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया—"*Incences without cartridges*—बिना कारतूस के लाइसेंस पिस्तौल का दे दिया है, कह दिया कि लो पिस्तौल ले लो लेकिन कारतूस नहीं मिलेगा, पिस्तौल नहीं चला सकते। आज यह स्थिति कमिश्नर की ही नहीं बल्कि स्टेट्स के अन्दर जो अधिकारी काम करते हैं। उनकी भी है। स्टेट्स के अन्दर जो डाइरेक्टर्स हैं, जिले जिले के अन्दर जो हरिजन कल्याण अधिकारी काम करते हैं, स्थिति देखें तो बड़ी दयनीय स्थिति है। श्रीमन्, उन बेचारी को कोई अधिकार नहीं है, वह जिले में ऐसा रहता है जैसे कि एक औरत सात खसम हो, कहीं प्लानिंग आफिसर उसका मालिक है, कहीं, 'मिटी मैजिस्ट्रेट' उसका मालिक है, कहीं कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका मालिक है, कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका मालिक है। कोई उसे अधिकार नहीं है। कोई अत्याचार होता है तो हरिजन कल्याण अधिकार जाता है, जा करके कोशिश करता है असलियत जानने की लेकिन नहीं जान पाता और असलियत जान जाता है और अपनी बात कहना चाहता है तो पुलिस कहती है कि तुम झूठ बोलने हो हम जो कहते हैं वह सही है। तो जो असलियत है वह सामने नहीं आ पाती। यदि इस प्रकार व सचमुच ईमानदारी से सरकार चाहती है कि जहाँ जगह जो अत्याचार होते हैं उनका निराकरण हो तो वह कैसे हो सकता है, उनका निराकरण कैसे हो सकता है। श्रीमन्, हमारी इन्वेस्टीगेटिंग अथारिटी जो है, डिपार्टमेंट जो है, वह पुलिस है और आप स्वयं जानते हैं, हम सब तो, सत् सम्मानित सदस्यों को अनुभव है, कि पुलिस का इन्वेस्टीगेशन कैसे, किस प्रकार से चलता है, सबसे पहली बात तो यह है, मेरा

[श्री मानसिंह वर्मा]

स्वयं का अनुभव है, सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों केसेज में पिछले 40 वर्ष के अन्दर हमको देखने का अवसर मिला है कि जहाँ पर भी शेड्यूल्ड कास्ट पर अत्याचार किया गया है वहाँ पर बहुत कम केसेज में ऐसा हुआ है कि पुलिस इस बात को कह सकी हो कि सचमुच अत्याचार हुआ है। कहा जाता है कि नहीं हुआ है। उसका दूसरा ही रूप सामने आता है। पैसा लिया जाता है और इसी प्रकार की अष्टाचार की बातें की जाती हैं। पुलिस जो आज है वह गरीब की हिमायती थोड़े ही है यह तो अमीर की हिमायती है, गरीब की हिमायती नहीं है। गरीबों को प्रोटेक्शन वहाँ से भी नहीं मिल पाता। तो श्रीमन्, मैंने एक उदाहरण दिया कि यदि सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती तो सबसे पहला काम तो यह होता कि उनके लिए अलग मंत्रालय होता। वैसे कहने को तो कमिशनर एक आटोनोमस बाडी है, जिस प्रकार इलेक्शन कमिशनर होते हैं वैसे ही शेड्यूल्ड कास्ट के कमिशनर हैं, पर अधिकार उनको दिए कितने हैं? कोई अधिकार भी है जिसका वह इस्तेमाल करें? एक मुनीम की तरह बैलेंस शीट सबमिट कर देते हैं लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। जब तक आप कमिशनर को अधिकार नहीं देंगे, पावर्स नहीं देंगे कि वह कुछ कर सके, स्वतन्त्रता के साथ अपना इन्वेस्टिगेशन करा सके तब तक उस पद से कुछ होने वाला नहीं, इस रिपोर्ट से कुछ होने वाला नहीं। चार वर्ष मुझे भी यहाँ हो गए हैं, मैं बराबर देख रहा हूँ रिपोर्टें आती हैं, उन पर डिस्कशन होता है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं होता।

श्रीमन्, जितने भी अत्याचार होते हैं, वे मामले गृह मंत्रालय से संबंधित होते हैं। गृह मंत्रालय पूछता है। अभी एक कमेटी फार दी वेलफेयर आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स बनी है, उसकी रिपोर्ट उठाकर श्रीमान, आप

देखें, मुझे भी उस कमेटी में रहने का अवसर मिला, कन्वीनर की हैसियत से काम करता रहा हूँ, देश में घूमने का मौका मिला है। अलग अलग प्रकार के विभागों से सम्पर्क स्थापित किया है, उनको एग्जामिन किया गया। श्रीमान, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो केन्द्रीय गृह मंत्रालय है उसने कौन सा सुधार किया है। जो होम मिनिस्ट्री (गृह मंत्रालय) है उसके सबके ऊपर अधिकार चलते हैं जहाँ तक ला एण्ड आर्डर का कन्सन है लेकिन स्वयं गृह मंत्रालय के अन्दर अस्पृश्यता बढ़ती जाती है, रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं है और इसी प्रकार की नाना प्रकार की जो ज्यादतियाँ हैं उसके अन्दर भी होती हैं। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री आकर बताएं कि उनके मंत्रालय के अंदर क्या कोटा पूरा है? नहीं है। सेन्ट्रल (केन्द्रीय) मंत्रालय जितने हैं, उनके अन्दर भी रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं है। कहा यह जाता है कि बहुत कुछ हम दे रहे हैं। जहाँ तक परसेन्टेज उसमें लिया जाता है—15 परसेन्ट यहाँ पर है, 18 परसेन्ट यहाँ पर है, साढ़े सात परसेन्ट यहाँ पर है—कागज पर लेखा-जोखा बिल्कुल पूरा आता है, अखबारों में भी उसका प्रोपेगेंडा पूरा हो जाता है और रेडियो के ऊपर बड़े हार्ड साउंडिंग वर्ड्स में समाचार आते हैं कि यह सरकार यह कर रही है, वह कर रही है। किन्तु उसका रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, यह आप देख रहे हैं।

श्रीमान्, अभी दो रिपोर्ट्स—बिल्कुल ताजी—शेड्यूल्ड कास्ट की कमेटी की मेरे सामने आई हैं—एक तो बैंकिंग की मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स की। स्टेट बैंक के विषय में यह लिखते हैं :—

“The Committee note with dissatisfaction that although the State Bank of India came into being in 1955 under the State Bank of India Act, 1955, Government orders making reservation



for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services were made applicable to the Bank only in 1966."

1955 में बैंक आया और 1966 में जाकर रिजर्वेशन की बात उनको सूची। जब बहुत कुछ लिखा गया, शोर मचाया गया और उसके पश्चात् भी रिजर्वेशन उन्होंने दिया नहीं —

"The Committee found no justification for the State Bank of India not having made reservations in the vacancies in subordinate staff in various fields from time to time. The Committee regret that this has deprived of a large number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes from joining the services of the Bank. This is entirely due to lack of proper planning and coordination and proper attention not having been paid to the reservation orders on the subject."

श्रीमन्, यह तो फाइनेन्स मिनिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री का मैंने आपको बताया। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के सबध में रिपोर्ट है कमिशनर की।

"The Committee are distressed to find that the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Class I and II posts in the Posts & Telegraphs Department is negligible."

पच्चीस वर्ष के पश्चात् स्वाधीनता की जिलवर जुबली मनाई गई, खुशिया मनाई गई और कहा गया बहुत कुछ अचीव्ह किया है। लेकिन जिनकी बदौलत यहाँ पर बन कर बैठे हैं उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। उनको धोखे में रखा गया है, उनको भुलावे में डाला गया। यह पिछले 25 वर्षों का चैलेज है। 25 वर्ष बाद गवर्नमेंट की कमेटी यह कहती है —

"There is also a considerable shortfall in the representation in these commi-

tees in Class II posts. It is all the more surprising that in spite of the Government of India reservation order for Scheduled Castes and Scheduled Tribes stated to have been implemented by the Posts & Telegraphs Department, the shortfall in the representation continues . ."

इसी प्रकार, श्रीमन्, एक नहीं, कोई भी केन्द्रीय मंत्रालय ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि 25 वर्ष के अन्दर हमने रिजर्वेशन का कोटा पूरा कर दिया है। कही नहीं किया है।

(Interruptions)

यही तो मैंने बतलाया कि प्रत्येक मंत्रालय ने शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो कोटा मुकर्रर किया गया था वह पूरा नहीं किया। Have the officers been taken to task at any time?

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस तरह के बैंको के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है? आज जितने बैंक चल रहे हैं उनके अन्दर शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों के लिए जो कोटा निश्चित किया गया था उसमें से कितनों को लिया गया है? श्रीमन्, मैंने इसी सदन में यह प्रश्न पूछा था कि बैंको के नेशनलाइजेशन करने के पश्चात् जो उनके द्वारा लोन दिए गए, उनमें से शिड्यूल्डकास्ट वालों को कितने दिये गये? मंत्री जी ने यह कह कर जान बचाई कि इस सबध में सूचना कलैक्ट की जा रही है सब बैंको से। इस तरह का उत्तर सरकार की ओर से हमेशा ही दिया जाता है।

तो श्रीमन्, मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया गया है वह केवल भुलावा है और वह धोखा देने वाली बात है। जहाँ तक छूआछूत को हटाने की बात है, आपने इस सबध में अनटचेबिलिटी ऐक्ट बनाया है। पहले सोशल डिमएबिलिटी ऐक्ट था और इसी तरह से बडे-

[ श्री मानसिंह वर्मा ]

Scheduled Tribes

बड़े ऐक्ट इस संबंध में बनाए गए है। आपने इस संबंध में यार्डी और इलापरूमल कमेटी बनाई और इस प्रकार कई कमेटी बनते हैं और उनकी रिपोर्टें आती रहती हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। देखने में यह आता है कि जितनी भी कमेटियों की रिपोर्टें होती है और उनमें जो सिफारिशें की जाती है, उनमें से आप एक को भी कार्यान्वित नहीं करते। अगर दो बात कही जायें और उसमें से आप एक भी करते, तो पचास परसेंट काम हो जाता।

आज छुआछूत की जो समस्या है, वह आज गांवों में और शहरों में भी भीषण रूप धारण कर रही है। आज उन लोगों के सामने खाने की समस्या है, घर की समस्या है और अपने जीवन के अस्तित्व को रखने की समस्या है। जब से उधर से समाजवाद का नारा बहुत ऊंचा लगा है तब से हरिजनों के ऊपर अत्याचारों की तादाद बढ़ गई है। आप इस बारे में हिसाब कर सकते हैं, पूरे इतिहास की तारीख देख सकते हैं कि देश में जब से समाजवाद की बड़ी बड़ी बातें की गईं, समाजवाद का नारा लगाया गया तब से सचमुच में समाजवाद का यह अर्थ हो गया कि समाजवाद के द्वारा समाज के अन्दर भगड़ा पैदा करना है। समाज के अन्दर भगड़ा पैदा करने के लिए समाजवाद पैदा हो गया है। जिम गांव में पहले लोग आपस में मेज के साथ रहते थे वहां भी अब भगड़ा पैदा हो गया है। यदि यही प्रजातंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, यही सुधार है, तो इस तरह की डेमोक्रेसी से भगवान बचाए और इस तरह के समाजवाद से भगवान बचाये।

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको कृपा करके ईमानदारी के साथ कीजिए। श्रीमन्, सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि देखो, पढ़ने

वालों की तादाद बढ़ गई है, नौकरियों में सोग आ गए है। ठीक है, देश में जिस प्रतिशत में यहां की पूरी जनता शिक्षित हुई है, उस प्रतिशत के हिसाब से शिड्यूल्डकास्ट के लोग कितने शिक्षित हुए है ? जब और लोगों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा तो इन लोगों का भी बढ़ना चाहिये। किन्तु इन लोगों के लिए विशेष रूप से जो कुछ करना आवश्यक था, वह नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि हमने इन लोगों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम कर दिए हैं। मेरे पास इस समय समय नहीं हैं क्योंकि घंटी बज गई है। लेकिन इस रिपोर्ट के अन्दर जो आयुक्ता महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो एगजाम्पल दिया गया है, जो इतिहास दिया गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जो इंस्टीट्यूट खुले हैं, उसमें छुआछूत बरती जाती है, उसमें भेदभाव बरता जाता है। तो श्रीमन्, इस तरह की स्थिति आज हमारे देश में आजादी की 25वीं रजत जयन्ती के अवसर पर है जिनमें हमारी सरकार बड़े घमण्ड के साथ कहती है कि हम देश में समाजवाद ला रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है और जिनके लिए कर रही है वे आज मौज उड़ा रहे हैं।

श्रीमन्, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हमको इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए और मेरे इस संबंध में दो, चार सुझाव हैं। पहला सुझाव यह है कि अगर आप इसके बारे में एक अलग मंत्रालय बना दें तो बहुत अच्छा होगा। यदि आप अलग से मंत्रालय नहीं बना सकते हैं तो यह जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, उसको गृह मंत्रालय के साथ अटैच कर दीजिए और शिक्षा मंत्रालय के साथ इसको अटैच मत कीजिए क्योंकि इस मंत्रालय की बड़ी

ही दयनीय दशा है। जहाँ तक शिक्षा का विषय है उसको और विषयों से बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए। शिक्षा को हमेशा ही एक नैग-लेक्टेड सब्जेक्ट समझा जाता रहा है इस देश के अन्दर और जब इसके साथ सोशल वेलफेयर को जोड़ दिया गया है, तो फिर इसमें कुछ भी नहीं हो पाता है। या तो आप इस मंत्रालय को अलग कर दीजिए या फिर इसको गृह मंत्रालय के साथ अटैच कर दीजिए। और आयुक्त महोदय को अधिकार होना चाहिए उनको अथारिटी होनी चाहिए, इनवेस्टीगेशन अथारिटी होनी चाहिए, उसके द्वारा आर्डर चलने चाहिए, आदेश चलने चाहिए, 'स्टेट्स में जो उसके अधिकारी है उनके द्वारा जो रिपोर्ट आए उसको माना जाय। इसके अलावा स्पेशल सेल्स होने चाहिए। श्रीमन्, हमें कोई आशा नहीं है कि हमें पुलिस से प्रोटेक्शन मिलेगा, गरीब को पुलिस से प्रोटेक्शन नहीं मिलता। आयुक्त के द्वारा या सरकार की मिनिस्ट्री के द्वारा सेल्स बनाए जाय और उन सेल्स की जाच के जो रिजल्ट हो वे फाइनल होने चाहिए और उसके अनुसार मुकदमे चलने चाहिए।

बहुत सी जगहों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आपका पैनल आफ एडवोकेट्स होना चाहिए। उनके ऊपर अत्याचार होते हैं और जब अदालत में जाते हैं, मुकदमा चलाया जाता है तो परवी करने के लिए वे अपना रुपया बर्बाद करते हैं, जमीन बेचते हैं, मकान बेचते हैं, ऋणी बन जाते हैं। उनकी पैरवी करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए प्रत्येक जिले में गवर्नमेंट की तरफ से पैनल आफ एडवोकेट्स होना चाहिए ऐसे कंसेज में पैरवी करने के लिए—निजी कंसेज की नहीं—जहाँ अत्याचार हुए हैं।

श्री उपसभापति : अब आप वाइन्ड अप कीजिए।

श्री मानसिंह वर्मा : श्रीमन्, यह ऐसा सब जेक्ट है जिस पर दो-चार मिनट और चाहिए।

भार्थिक स्थिति के लिये इंडस्ट्रियल ग्रान्ट्स दिये जाते हैं। मैं सेक्टर की नहीं कह सकता, लेकिन जिलों की बात मैं जानता हूँ। इंडस्ट्रियल ग्रान्ट 500 रुपया, 1000 रुपया दी जाती है क्या 500 और 1000 रुपये से इंडस्ट्री चलती है? कोई करना भी चाहता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती। अगर उनमें उत्साह पैदा किया जाय कि सरकार की तरफ से रुपया मिल रहा है, बैंक की तरफ से रुपया मिल रहा है, बेचारे जाते हैं तो उनको नौमिनल ग्रान्ट दी जाती है। हाउसिंग ग्रान्ट दी जाती है, 500 रु. 1000 रुपये में मकान बनवा लो। 500 रुपये में रिपेयर तक तो होती नहीं। एक तरह से रुपया बाँटा जाता है जिससे पता लगे कि बहुत कुछ किया जा रहा है, उसका सबस्टेस कुछ नहीं है, उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता। तो मेरा सुझाव है कि सरकार की तरफ से हर ब्लॉक में इंडस्ट्रियल यूनिट होनी चाहिये। सरकार जो धर धर रुपया बाँटती है वह वेस्ट हो जाता है, उस रुपये को एक इंडीवीजुअल को न देकर इंडस्ट्रियल यूनिट को दिया जाये, सरकार की तरफ से वह यूनिट चलाई जाये और उस ब्लॉक के जितने खेतिहर मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उन्हें वहाँ काम दिया जाये तो खेती के अलावा जो समय होगा उसमें वे काम करेंगे और देश के अन्दर प्रोडक्शन बढ़ेगा और उनकी रोजी चलेगी।

यह जो छुआछूत की समस्या है यह सामाजिक समस्या है, लेकिन सरकार इतना तो अवश्य कर सकती है कि अन्तर्जातीय विवाह और आपस में मिलने के कितने साधन हो सकते हैं उनको प्रोत्साहन दे, अन्तर्जातीय विवाह हों, इन्टर-कास्ट, इन्टर-स्टेट। कास्ट का शब्द कहते

[ श्री मानसिंह वर्मा ]

हुये मुझे थोड़ा संकोच होता है। आज 25 वर्ष हो गये हैं, सरकार की तरफ से कास्ट सिस्टम दूर करने के लिए कोई भी किसी प्रकार का न तो विधेयक आया, न बिल आया। मेरा अपना यह विश्वास है कि देश के अन्दर जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा, जब तक जाति प्रथा रहेगी तब तक छुआछूत दूर नहीं हो सकती। उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

श्री उपसभापति : अब आप खत्म कीजिए।

श्री मानसिंह वर्मा : मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : साहब, अब तो ये शादी की बात कर रहे हैं।

श्री मानसिंह वर्मा : श्रीमन्, एक बात कह कर मैं समाप्त कर रहा हूँ। सरकार यदि ईमानदारी से अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट करना चाहती है...

श्री गणेशी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश) : ईमानदारी का सवाल ही क्या है।

श्री मानसिंह वर्मा : ध्यान तो मैं दिला ही सकता हूँ। जिन अधिकारियों द्वारा सरकार की नीति की अवहेलना की जा रही है, जो प्रोत्साहन नहीं देते, रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं करते, अत्याचार कराते हैं, स्वयं छुआछूत बरतते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या आप कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? अगर लेंगे तभी उसका इम्पेक्ट हो सकता है, प्रभाव हो सकता है, अन्यथा, जैसा मैंने शुरू में कहा, यह प्रोपे-गेंडा है, प्रचार है और मैं समझता हूँ कि यह प्रचार बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। जैसे अवैकेनिंग हो रही है, जागृति हो रही है, लोग जाग रहे हैं अपने अधिकारों को समझने लगे हैं और वह समय दूर नहीं है जब देश के अन्दर शैड्यूल्ड कास्ट और दूसरों के भगड़े

पैदा हो जायेंगे अगर आपने इसको ठीक नहीं किया। आज ऐसी स्थिति देश के सामने आ रही है। जो तीन साल के अन्दर मिसालें हमारे सामने आई हैं वे बहुत लज्जाजनक हैं, किसी भी राष्ट्र के लिए। उनकी ओर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 'इन' शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री भोजा पासवान शास्त्री (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्री का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस रिपोर्ट को सभा में पेश कर इस पर विचार करने का मौका दिया।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : शास्त्री जी, तीन वर्ष के बाद इसको रखा गया है।

श्री भोला पासवान शास्त्री : रखा तो गया है।

(Interruptions)

जहां तक मैं जानता हूँ भारतवर्ष में सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पोलिटिकल पार्टी है जिस की बराबर यह राष्ट्रीय नीति रही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति की तरक्की को आगे बढ़ाया जाय। इसको कोई नहीं काट सकता। मुझे वर्मा साहब की बात सुनकर आश्चर्य होता है। पता नहीं, उन्होंने कैसे कह दिया कि सरकार की ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं रही है। स्वराज्य प्राप्त हुए 25 वर्ष हो गए हैं। जिस वक्त स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ था उस वक्त की बात मैं कहता हूँ। कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम थे उनमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अस्पृश्यता निवारण का था।

श्री गणेशी लाल चौधरी : गांधी जी का था।

श्री भोला पासवान शास्त्री : गांधी जी क्या कांग्रेस से अलग थे? गांधी जी तो कांग्रेस के

नेता थे। (Interruption) यह तथ्य है कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यह कार्यक्रम उस समय चलाया जब किसी पोलिटिकन पार्टी की कोई बुनियाद नहीं थी, कोई नाम लेने वाला नहीं था, कोई चर्चा करने वाला नहीं था। इसलिए आज भी कोई दावा कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी दावा कर सकती है। आज भी इस सम्बन्ध में जो किया गया है या किया जा रहा है वह कांग्रेस पार्टी ही कर रही है और कोई पार्टी नहीं कर रही है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इसीलिए आपने कांग्रेस छोड़ दिया था।

श्री भोला पासवान शास्त्री : जी हां, कांग्रेस छोड़ दी और अब फिर आ गया हूं। जब कांग्रेस में सुधार आ गया तो आ गया। (Interruption) कांग्रेस भी एक संगठन है, एक जमात है और जहां जमात होती है वहां कुछ न कुछ गड़बड़ी होती ही है। आप अपने कलेजे पर हाथ रखकर के बताइए कि क्या आप दूध के धोए हुए हैं। वैसे मैं इसको स्वीकार करता हूं कि जब कांग्रेस में दोष आया तो उसको दुरुस्त करने के लिए मैंने विद्रोह किया। मुझे इस बात का फखर है कि मैंने कोई गलती नहीं की। आप यह कहते हैं तो आप ही बताइये कि आप में कोई दोष है या नहीं। जब कांग्रेस ठीक हो गई तो फिर मैं उसमें आ गया (Interruption) देर आये दुरुस्त आये।

इसलिए मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई पोलिटिकल पार्टी आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के बारे में विकास का दावा कर सकती है तो वह कांग्रेस पार्टी ही है। मैं जानता हूं कि इसमें खामियां हैं, लेकिन खामियां कहां नहीं हैं? इस देश में इस तबके के लोगों के लिए जो कुछ किया गया है वह

कांग्रेस की ओर से ही किया गया है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह सिलवर जुबली किसकी है? यह 25 वर्ष का शासन किस का है?

श्री भोला पासवान शास्त्री : कांग्रेस का शासन है और किस का?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह रिपोर्ट भी कांग्रेस शासन की ओर से आई है...

(Interruption)

श्री भोला पासवान शास्त्री : हमको अपनी बात कहने दीजिए। (Interruptions) देखिए, उपमहापति महोदय, बहुत सी बातों का जवाब सरकार देगी। लेकिन जैसे किसी और माननीय सदस्य को अधिकार है वैसे ही हमको भी इस सभा में अधिकार है अपनी बात कहने का। सरकार की तरफ से सरकार जवाब देगी, मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई कहता है कि उसने हरिजनों के लिए कुछ किया है तो वह गलत है। उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है और वे आगे करेंगे या नहीं इसमें भी शक है। हां, यहां पर आप राय दे सकते हैं और आप की राय कीमती हो सकती है, गवर्नमेंट उसको सुनेगी और उस पर विचार करेगी, लेकिन मैं जानता हूं और मैंने कहा भी है कि अगर हरिजनों के लिए किसी ने कुछ किया है तो केवल कांग्रेस ने ही किया है। दूसरी पार्टियां जो हरिजनों की चर्चा करती हैं वह केवल वोट के लिए करती हैं क्योंकि हरिजनों के पास आज वोट है।

श्री मानसिंह वर्मा : इसको राष्ट्रीय समस्या समझ कर आपने इसको नहीं लिया। आप जैसे वकीलों की वजह से ही आज तक उनके लिए कुछ नहीं हुआ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : आप तो वोट के लिए बोलते हैं लेकिन हम लोग बोलते हैं उनके विकास के लिए। क्योंकि जिस समय कांग्रेस ने हरिजनों और आदिवासियों का काम अपने हाथ में लिया था उस समय वोट की कोई बात नहीं थी। उस समय उनके लिए केवल जेल जाने और उनके लिए मार खाने की बात थी। कुएँ पर जो हरिजन पानी पीता था उसको पीटा जाता था। उस समय केवल कांग्रेस वाले ही मार खाकर जेल जाते थे। उन्होंने अपने को हरिजनों के लिए तपाया है, गंवाया है। ऐसा नहीं है कि हम आज केवल वोट के लिए ही कर रहे हैं। अगर आज कोई हरिजनों के वोट का अधिकारी है तो सच मानों में वह कांग्रेस पार्टी ही है और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। (Interruptions) वर्मा जी, आप ने कोई काम नहीं किया है। बिहार में एक पार्टी की मिनिस्ट्री बनी थी...

श्री सीताराम सिंह (बिहार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय शास्त्री जी ने कहा है कि दूसरे दलों को वोट लेने का अधिकार नहीं है। यह बात संविधान और जनतंत्र के खिलाफ है। अब जनतंत्र में हर एक इंसान वोट देने का अधिकार रखता है तो हर दल वोट लेने का अधिकार भी रखता है। यह मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री भोला पासवान शास्त्री : हरिजन और आदिवासी कांग्रेस को वोट क्यों देता है? वह समझता है कि हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। मैं आप की नीयत पर आघात नहीं करता, लेकिन आह के पीछे जो भावना है उसके लिए मैं कहता हूँ कि जब आप सत्तारूढ़ होंगे तो मैं देखूँगा कि आप क्या क्या करते हैं। बिहार में एक पार्टी की मिनिस्ट्री बनी थी लेकिन उसमें एक भी हरिजन को कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं बनाया गया। यह आप की बात है। यह

विरोधी दल की सरकार थी, समाजवाद सरकार थी, प्रगतिशील सरकार थी, लेकिन उसमें कैबिनेट स्तर पर एक भी मंत्री हरिजनों में से नहीं लिया गया। आप इस बात को दरिपास्त कर सकते हैं। आपके साथियों की सरकार बहूँ थी, और आज यहाँ हरिजनों और आदिवासियों की दुहाई दी जाती है ...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : शास्त्री जी, आप ऐसा बोलते हैं। आप मुख्य मंत्री थे बिहार के, आप को भी तो उन्हीं लोगों ने मुख्य मंत्री बनाया था। आप कांग्रेस की बदौलत मुख्य मंत्री नहीं बने थे।

श्री गुणानन्द ठाकुर (बिहार) : आप लोगों की बदौलत इस्तीफा भी दिया था।

(Interruption)

श्री उपसभापति : आप दोनों चुप हो जाइए। बीच में मत बोलिए।

श्री भोला पासवान शास्त्री : बने तो क्या, हम धम्य हो गए? वह परिस्थिति ऐसी थी कि हम मुख्य मंत्री बने, लेकिन अब जो आप कहते हैं उस रास्ते पर मैं चलने वाला नहीं हूँ। जब आप ठीक काम करना चाहते थे तो हमने आप का साथ दिया और जब आप गड़बड़ करने लगे तो आपका साथ छोड़ दिया। मैं जो उचित समझूँगा वही करूँगा। मैं यह सवाल नहीं उठाता कि आपने मुख्य मंत्री बनाया या नहीं बनाया, अभी तो सवाल यह है कि जिस समस्या पर यह सभा बहस कर रही है उसको हमें गंभीरतापूर्वक देखना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि किस ने क्या किया है। हम आपकी नियत पर आघात नहीं करते। आप जिस समय सत्तारूढ़ थे उस समय की बात हमारे सामने है और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। आप कहने के लिए सब कुछ कहते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तो हुजूरवाला, पता लगता है कि उसमें कितनी वास्तविकता है और करने

वाले कैसे लोग है। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूँ कि किसी पोलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं है और कोई पोलिटिकल पार्टी उनके वोट की अधिकारी नहीं है। इसलिए कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा से उनके लिए किया है और पिछले 25 वर्ष में बहुत कुछ किया है। मैं मानता हूँ 3 P. M. कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार में खामियां भी रही है, जितना करना चाहिए वह नहीं हुआ है। यह मैं खुद कहता हूँ। लेकिन कुछ नहीं किया गया यह आप नहीं कह सकते हैं।

**श्री मान सिंह वर्मा :** कितने प्रतिशत काम-याबी अब तक मिली है, जो परिणाम हमारे सामने है उसको देखते हुए यह कितने प्रतिशत है ?

**श्री भोला पासवान शास्त्री :** आप बैठे-बैठे बोलते हैं, हम क्या सब बातों का जवाब दें।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** आप देखिए न, कितना वाल्यूम है।

**श्री भोला पासवान शास्त्री :** उपसभापति जी, मैं जगदम्बी बाबू को तो कुछ नहीं कहता, आप देख ले कि 18 रिपोर्ट्स पेश हो गई हैं और यह 19वीं रिपोर्ट है।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** संविद सरकार की बात होगी तो हम टोकेंगे नहीं, तो हम नहीं टोकते हैं। पार्टी की बात आपने की।

**श्री भोला पासवान शास्त्री :** आपकी पार्टी के माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उसी के बारे में बोल रहा था।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** जब आपने संविद की बात की तब टोका।

**श्री उपसभापति :** आप शान्ति से सुनिए, जब आपको बोलना हो तब आप बोलियेगा, अभी आप बैठ जाइए।

**श्री भोला पासवान शास्त्री :** हमने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, चूंकि वर्मा जी ने कहा कि कभी कांग्रेस की राष्ट्रीय नीति नहीं रही है कि हरिजनों और आदिवासियों को ऊपर उठाया जाय, तब मैंने इस सम्बन्ध में कुछ कहा, अब रिपोर्ट पर आइये। हम पिछले 25 वर्ष की बात जानते हैं, हमारे स्टेट में ही जाइये, किसी जगह भी जाइए, देखिए क्या स्थिति है, 20—25 साल पहले कोई स्वीकार भी नहीं करता था कि कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर आई० सी० एस० अफसर हरिजन आदिवासी हो सकते हैं, लेकिन आज उन सेवाओं में हरिजन हैं, अन्यन्य सेवाओं में भी हैं। आप यही कह सकते हैं कि इन सेवाओं में उन्हें जितना मिलना चाहिये वह नहीं मिला, इसमें मैं आपके साथ हूँ, यह होना चाहिये। वर्मा जी ने कहा, गवर्नमेंट का सरकुलर है, आर्डर है, फिर भी उसका पालन नहीं होता है। दिल्ली के सेक्रेटेरिएट से ही शुरू किया जाय तो हो सकता है कि वहां की सरकार ने उसका पालन नहीं किया हो। इसे कोई देखने वाला नहीं है। सरकार ने जब यह नीति बनाई है तो उस नीति के मुताबिक काम होता है या नहीं, यह सरकार को देखना है, उसे करना है। इसमें मैं आपके साथ हूँ, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। लेकिन एक ही झाड़ू से झाड़ कर कह देना कि सरकार ने कुछ नहीं किया है तो यह शोभा नहीं देता है। जहां तथ्य बोलता है, वहां यह बात जायज नहीं मालूम पड़ती है। इस रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ में जो कहा गया है उसका निष्कर्ष यह है कि जब तक इस देश में जाति-प्रथा है तब तक छुआछूत का बर्ताव रहेगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां संविधान में दिए गए अधिकार तभी प्राप्त कर सकती हैं, जब ये गांधी जी के सत्याग्रह के मार्ग को अपना कर आगे बढ़ेंगी। हमें यह बात समझ में नहीं आती है। मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं। रिपोर्ट में यह छपा होगा तो जरूर गवर्नमेंट की स्वीकृति मिली होगी। तो

[ श्री भोला पासवान शास्त्री ]

क्या आज की वर्तमान सरकार हरिजनो और आदिवासियों को उत्साहित करती है कि सत्याग्रह करे और सत्याग्रह करके अपना हक लें। इसका लाजिक समझ मे नहीं आता। जब सरकार अपनी नहीं थी, अंग्रेजी सरकार थी तो सत्याग्रह करते थे लेकिन आज सरकारी रिपोर्ट मे ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सरकार मे बह ताकत नहीं है। मैं इसको जानना चाहूंगा कि ऐसा लिखने की क्या वजह है ? अगर सरकार हरिजनो और आदिवासियों को कहती है कि अपना हक प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह का, गांधी जी का रास्ता पकड़ें तो सरकार को इसमे उनका साथ देना चाहिए, लेकिन अगर वह आन्दोलन करते हैं तो सरकार उरको गिरफ्तार करके जेल मे डाल देगी।

आज जब जाति की बात सोचते हैं, तो लगता है कि जाति की भावना, और बढ़ने लगी है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।

श्री गनेशी लाल चौधरी : बहुत ठीक कहा।

श्री भोला पासवान शास्त्री : आप पर भी लागू होता है। आप भी इसी देश के रहने वाले हैं, आप भी तो किसी न किसी जाति के हैं।

श्री मान सिंह वर्मा : आपने ठीक कहा, इस को हम मानते हैं।

श्री भोला पासवान शास्त्री : हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं कह सकते हैं कि हम लोगों पर ऐसी बात लागू नहीं होती।

जहाँ तक जात-पान की बात है, हरिजनो के अन्दर भी यह भेदभाव है। हम उसको छिपाना नहीं चाहते हैं। इसमें सच्चाई है। तो क्या वजह है कि आज हरिजनो और आदिवासियों पर इतना जुल्म होता है ? अंग्रेजो के जमाने मे भी जुल्म होता होगा, तब उतनी

पब्लिसिटी नहीं होती थी, अखबार नहीं थे, रेडियो नहीं था लेकिन आज जो सुनते हैं उससे रोआ खड़ा हो जाता है। क्या स्वराज्य इसीलिए हुआ है ? मैं जानता हूँ। सच्चाई छिपाना नहीं चाहता हूँ। आज बड़े लोगो मे बड़ी जाति के होने की भावना अधिक है। वह जुल्म करने की भावना बढ़ रही है। वह क्यों बढ़ रही है, उसके भी कारण हैं। हरिजन और आदिवासी आज जागरूक हो गए हैं। कांग्रेस ने पहले से उनको जगाया। जब अपनी हुकूमत हुई, उसकी भूल जगी, आगे बढ़ने की, मिनिस्टर होने की, सत्ता मे जाने की, सत्ता का आनन्द वे भी लेना चाहते हैं, उसकी यह भूल बढ़ी है। तथाकथित बड़े लोग इसे पसन्द नहीं करते हैं। मेरे अपने स्टेट की बात है। चमार का लडका बी. ए. पास हो गया। वह अपनी जात वालो से कहना था तुमको मजदूरी कम मिलती है, इतनी मजदूरी मे काम मत करो। उसको जान से मार ही दिया जाता, किसी तरह बच गया। वह हमारे पास दौड़ा आया। जब हमने जाच कराई तो रिपोर्ट ठीक ठीक आई।

एक और भी दृष्टिकोण है मेरी समझ में। यह जो रिपोर्ट इस समय पेश है, रिपोर्ट के पेश करने मे, रिपोर्ट के तैयार करने में, मैं समझता हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने सच्चाई बरती है और रास्ता भी दिखाया है। लेकिन रिपोर्ट पढ़ने से मालूम होता है कि कमिश्नर का हाथ बधा हुआ है। मैं मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा : आप खुद तैयार होइए, आप विद्वान आदमी हैं, पढ़ें लिखें हैं, सोसाइटी के इन्वोल्यूशन को समझते हैं, आप इसका नेतृत्व करिए। मुझे अपनी सरकार पर विश्वास है, वह खामियों को दुरुस्त करेगी। सरकार की नीयत ठीक नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। किसी की नीयत पर आघात करना भी नहीं चाहिए। कमजोरी हो सकती है उसको बताना चाहिए। मैं मिनिस्टर साहब को राय दूंगा कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर ने जो सिफारिश की



है उसका 25 प्रतिशत भी पालन करे तो बड़ा काम हो जाएगा। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन तक मे रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं होता है, यह गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन देश के हुकूमत की गद्दी है। यह कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है और कितनी लज्जा की बात है कि आपका जा केन्द्र शासित राज्य है क्या वहां आपकी नीति लागू होती है? इस चीज को आपको देखना चाहिये।

अभी मैं आप से दो, तीन जरूरी बातें कहना चाहता हूँ। कालेजो मे विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, वह एक अच्छी बात है। स्टाइपेंड का जो रेट है, उसको आपको देखना चाहिये। उन्हें इस समय 27 रुपया माहवार दिया जा रहा है। आजकल के जमाने मे जब हर वर्ग के लोग हल्ला करते हैं, पार्लियामेंट के सामने जलूस निकालते है तो उन्हें तो मिल जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी है, पिछड़ा हुआ है, शान्त है, उसका 27 रुपये से कैसे काम चलेगा, इस बात को आप ही सोच सकते है और आपसे बड़कर सोचने वाला और कौन हो सकता है? मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह इस पर फिर विचार करें और यह देखे कि उनकी कितना ज्यादा स्कालरशिप दिया जा सकता है।

जहां तक सर्विसिज की बात है, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया हुआ है और मिलता भी है। जहां तक यू. पी. एस. सी. का सवाल है, वह मिल जाता है, लेकिन जहां तक नान गजेटेड का सवाल है

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : स्कूलो मे स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है।

श्री भोला पासवान शास्त्री : स्कूल मे आज भी बहुत कम स्टाइपेंड मिलता है, एक चौथाई मिलता है। जो विद्यार्थी पढ़ने मे अच्छा है, जो

डिजिटल विद्यार्थी है, उसको अवश्य सहायता मिलनी चाहिये। स्कूल मे जो स्टाइपेंड आप देते है उसको एक दफा न बढ़ाइये बल्कि हर सान वज्र मे थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाइये।

यदि आपके यहां नौकरियों मे अच्छे लोग होंगे तो छुआछूत का भेदभाव उठ जायेगा, वह लडका पढ़ लिख लेगा और इस तरह से जो आगे की जनरेशन होगी वह अच्छी होगी। इसका नतीजा यह होगा कि वह हरिजन या आदिवासी स्वयं पढ़ लेगा, उसका बेटा पढ़ेगा और फिर उसका पोता पढ़ेगा, लडकी पढ़ेगी और इस तरह से समाज आगे बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के सिवाय और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है।

सर्विसिज के बारे मे जो कमिया है, उनको आप दुःख कीजिये क्योंकि उनमे बहुत खामिया है। इसके साथ ही साथ पब्लिक अडरटेकिंग्स की जो आटोमस बाडीज है, जिसमे सरकार काफी रुपया खर्च करती है, वहां सर्विसिज के बारे मे सरकार की तरफ से कोई सर्कुलर नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि जब उनको लिखते है, तो कहा जाता है कि आपके लिए रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए आपको जगह नहीं मिलेगी। आप पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे है, उनको काफी पैसा दे रहे है, अरबो, करोड़ो रुपयो का बजट उनका बनाया जाता है, वहां पर इम्प्लायमेंट बहुत है, लेकिन वे लोग हरिजन और आदिवासियों को किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं देते है और वहां के लोग ऐसे पात्र नहीं है कि वे अपने मन से इन लोगो को सर्विस मे रिजर्वेशन दे।

इन शब्दो के साथ मैं रिपोर्ट का समर्थन करता हूँ और फिर मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस काम मे नये सिरे से नया जीवन लायेंगे।

SHRI G. A. APPAN (Tamil Nadu) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I wanted to speak tomorrow but you have called me today itself. Whatever it is let me finish. We are now discussing the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes not for the year 1971-72 but for 1969-70. How long after? At least two years. According to the Home Ministry's orders the statistics of employment of the scheduled castes and scheduled tribes people in government services are to be sent to the Government not later than 31st March of the succeeding year. What is the use of discussing any report two or three years after it is due? Why not discuss it a hundred years later.

Sir, the regard the Government of India has for the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes is known from the fact that there is no Minister of the Cabinet rank for this portfolio for more than six or seven months. Ever since Mr Siddhartha Shankar Ray was assigned the Bengal work, we do not have a Cabinet Minister. I have regard for the Minister of State who is now in charge. But you know, there should be some as Cabinet Ministers, there should be some as Ministers of State and some as Deputy Ministers.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) in the Chair]

But why is there no Minister of the Cabinet rank for the Social Welfare Department? Prof. Nurul Hasan at least could have been appointed as a Cabinet rank Minister. Everybody thought and I also thought that now that Mr. Siddhartha Shankar Ray has gone to West Bengal permanently, at least Prof. Nurul Hasan could have become a Minister of Cabinet rank. But so far nothing has happened. This itself shows the amount of regard, respect, interest or sincerity which the Government of India has for the interests of the downtrodden people.

Mr Vice-Chairman, Sir, I can only waste my lungs. I have been speaking here for the last four years and I have been wasting my lungs and wasting my breath by uttering a number of times about the safeguards and concessions promised to these poor people on paper. Is there any sincerity? You know, even if you can do something with all sincerity to the maximum extent, that will be

we'll and good, rather than promising shiploads and giving nothing. What the right hand gives, the left hand begins to take away, and what the left hand gives, the right hand takes away. Concessions are there in plenty, promises are there and lip-sympathies are there. But the more the promises, the more the concessions that are promised to these unfortunate beings, the graver is the exploitation, the more heinous is the cruelty of treatment. Even now, after 25 years of independence, the stigma of untouchability, the devil of untouchability, has not gone in rural parts. This is very clear from the Report of the Elaya Perumal Committee, this is very clear even from the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Why you want to call him the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I do not know. It was the intention of the framers of the Constitution that the Commissioner's office was meant for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, it is a pity, it is a shame that this Commissioner's office, meant for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, has been converted into a Backward Classes Commissioner's office. Do you mean to say that you cannot have a man from the Scheduled Castes community to head this Commission? You know, there were two or three people who spoiled the whole Department and converted it and transformed it into a Backward Classes Commissioner's office. But even now we have been trying to impress upon the Ministers to put into the ears of our revered Prime Minister what we have been saying on the floor of the House all the time, not once or twice but umpteen times. If the Ministers had put these views into the ears of the Prime Minister, I am sure she would not have turned a deaf ear.

I have the greatest faith in the leadership of the revered Prime Minister, the worthy daughter of a worthy father. There may be a few people trying to create some mis-understanding and trying to compel her unnecessarily to do certain things or bringing her to loggerheads. But she is the wisest Prime Minister. She is a tigress as Prime Minister. This I am speaking from my heart which I honestly speak. In a federal State like this she is a very capable lady who has won laurels after laurels. She is an uncrowned queen, an uncrowned monarch of not only India but other parts of the

world around. Why does she not really care, honestly, sincerely, for what is meant in the Constitution ? There are 13 Ministers of Cabinet rank. But poor Mr Jagjivan Ram is the only Scheduled Caste man. Don't you think we deserve three, or, at least two ? And there are 17 Ministers of State. Not even a single person is there. Perhaps there are four or five Deputy Ministers. Is it the reservation that you want to give ? When the head of the family does not care to implement the spirit of the Constitution the promises, the safeties, the safeguards, vouchsafed in the Constitution, how can others implement it ? If she is very strict in her observations and in her actions, she will have the right to pull up anybody who does not rise to the occasion. And throughout the country not even 2 per cent are there in the higher ranks. What have you done ? Nothing has been done in a concrete way. Fortunately I am very glad that a brochure on reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services has been prepared very recently. It is a compilation I should thank the Government for this. It is 1972 edition, where everything is compiled. But only 8000 copies have been printed. I do not know how these 8000 copies will meet the demands of the whole country. May I request the honourable Minister in charge of Social Welfare to send a copy to every recruiting office, every association which is doing with the welfare of the Scheduled Castes ? At this rate not 8000, even 20000 copies will not be sufficient. Of course I have myself purchased 30 copies to be given to the various associations where I go. A number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes associations are there. When they go to the Government for recognition of their association, they say, "Oh, it is communal." But when it comes to the question of Muslim League they say it is not communal. Even if it is communal, it is meant only for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who enjoy a rightful place, a rightful constitutional protection and safety. What is wrong? Will the honourable Minister promise here on the floor of this House that all the Scheduled Castes and Scheduled Tribes associations and labour associations will be granted recognition ? I can tell you all the Government officers, welfare officers, Government servants, all are more true to the Government than to the ordinary. But with

all their sincerity, with all their honesty of purpose to the Government, they do not get the rightful place, rightful share. In Calcutta there is a very big association of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees of Calcutta. In the Telephone Exchange and wherever I go, I go to meet the poor people, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the slums people, the villages, officers of all ranks. But wherever I go the clamour is injustice, injustice, injustice and exploitation, exploitation and exploitation. May I request the hon. Minister to see that separate employment exchanges and public service commissions are set up to look into the appointment and selection of these poor people. These bodies can also attend to the training of these people and attend to their grievances. In 1965 in a conference presided over by Dr V. K. R. V. Rao, the late Pandit Jawaharlal Nehru suggested this. The Chairman of these bodies should be Members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes. In this 25th anniversary of our independence, may I request the Government of India to make one Scheduled Caste or Tribe man as the Chairman of the UPSC? In Tamil Nadu twice there were Chairmen belonging to this community. I will also request the Government to compulsorily educate children belonging to these communities upto fifth standard. Of course some people get free education upto the Intermediate Class. But in certain States there is no compulsory or free education even upto the fifth class. That is what I told the hon. Minister even in the Consultative Committee. Make it a point to tell Mrs. Gandhi, our revered Prime Minister, to declare that from today all the children below 14 years belonging to these unfortunate communities should be put in schools and given work oriented education. The hon. Minister was saying that he is going to introduce or establish Nehru Kendras. Why drag in the great name of Panditji ? Why not National Kendras ? It is only in the processing stage. Why these promises and shedding of crocodile tears ? Why not start one and show it ? Do something immediately. So is the case in almost all professional bodies such as Indian Council of Agricultural Research and the Council of Scientific and Industrial Research. These communities do not get sufficient representation. What action are you going to take ? Either scrap away all these things or try to

see that all these things are implemented effectively. If you have an ombudsman in every district and in every State for the redressal of grievances of these people, then that is something. Can you not learn a lesson from what Tamil Nadu Government is doing for Harijans and the Scheduled Castes and Tribes people? If what they are doing is done in every other State, then their difficulties will be solved. In Tamil Nadu these Scheduled Castes and Tribes people are having a bright career. Why not you learn a lesson from that government? Housing is there and inter-caste marriage encouragement is there. Sir, if casteism is to be abolished, inter-caste marriages should be encouraged and the people whose marriages are inter-caste marriages should be given preference in the matter of employment and other things. You know, Sir, I have been asking the Minister of Tourism and Civil Aviation and the Minister of Finance and other Ministers to give representation to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in their boards and councils and all such things. Nothing has come out so far. Do you mean to say that we do not have efficient people, clever people, to man all these things? We do have. But the reservation that is given to us is not a charity. Therefore, this is our rightful plea and it is our legal plea which cannot be denied.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): You have to conclude now.

SHRI G. A. APPAN: Only two minutes more Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): You have already taken 17 minutes.

SHRI G. A. APPAN: There are a number of Reports, Scheduled Caste Committee Reports, etc. What action have you taken? Why do you want to waste paper like this? If at all anybody is to be sincere, he should be sincere in the smaller way. Try to be magnanimous in implementing this and doing it honestly and sincerely rather than saying this. You know, yesterday, our Defence Minister was telling that there should be a change of heart if these

poor people should be helped. Unless there is a change of heart and there is sincerity and honesty of purpose, nothing can happen. Further more, unless the society is classless, there can be no democracy and there can be no socialism. Our Prime Minister is telling "*gartbi hatao*". I have visited now almost all the States in India and wherever I go, the plight and the lot of the Scheduled Caste people are the same.

Can you not see that the principle of carrying the nightsoil by human beings is abolished from this Silver Jubilee year? Can you not see that compulsory education is given to the Scheduled Caste people at least up to the Fifth Standard from this year? Can you not assure on the floor of the House that reservations are made up to 20% or 25% in the case of recruitment, in service training, etc. at least from this year? Mr. Vice-Chairman, I have visited a number of States. In Bihar . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): You are going to other points.

SHRI G. A. APPAN: Only one point, Sir. Gandhiji thought that a Scheduled Caste man should be the President. Has it happened? It is 25 years now. Gandhiji dreamt that. Why can't the Prime Minister of India be a Scheduled Caste man? Can she not work for that now? I think she has occupied several positions. I request that the honourable Prime Minister, who is the worthy daughter of a worthy father, the worthy Prime Minister of a worthy country, a great nation, a peace loving nation, a nation which is wedded to the principles of *Pancha Sheel*, should take it on her head from this Silver Jubilee Year or, at least from her next birth day, too see that all the things that I have been humbly submitting before the House are implemented.

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa): Sir, one minute. Mr. Appan raised an interesting point. He asked us to take the Tamil Nadu Government as the ideal.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Don't raise any point, because he will start replying now.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Only one small point. Last time, when we were touring Madras in connection with the

work of a Committee—Mr. Choudhury was also there with us then—we visited a Harijan colony. For the children they were supplying some mid day meal and it was done by a DMK worker. But the entire colony was against him and they were clamouring for his removal. So, Sir, we need not take Tamil Nadu as the ideal.

**SHRI G A APPAN :** There may be exceptions. I am not denying that.

**THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) :** All right Yes, Mr. Janardhana Reddy.

**SHRI JANARDHANA REDDY (Andhra Pradesh) :** Sir, I have gone through this Report submitted by the Commissioner. Let us extend our appreciation to the Commissioner for the pains he has taken to submit this voluminous Report with elaborate information and facts. Of course, the size of this Report shows the voluminous problems we have to face. Our friends were questioning the Congress Government, what they were doing for the last 25 years? Regarding this problem, it is a fact, Sir, that Congress Governments were there for the last 25 years. But there have been people, and there are people, who have been exploiting these communities. As long as these people who want to politicize the poor and commercialize these weaker sections, these problems are bound to be there. These cannot be removed all of a sudden by a Government just like a surgeon removing something by an operation. But, anyway, there are some handicaps, there are some shortcomings also on the part of Government. We have to accept that.

This Report has clearly discussed the problems point by point, taking Education, Housing, and the Panchayati impact and other problems that are being faced by the scheduled castes and scheduled tribes. Well, Sir, every one of us will agree that once we are able to uplift these communities economically and educationally, no doubt, this untouchability or whatever you call it, will not be there. The Report has made some suggestions. It is up to the Government now to come forward with new schemes. We have to accept that some of our schemes are a mere farce. I know as one being connected with educational complex in my place established to service for nearly 30,000 under privileged students, and the

difficulties and the shortcomings they are facing. Actually, certain programmes introduced by the Government of India are a mere farce, we have to accept that. But, of late, there is no doubt, under the able leadership of Mrs. Indira Gandhi, our Prime Minister, these activities have gained a momentum and lakhs of acres of cultivable land was given to the poor. Lakhs of houses are being constructed in my State even today with the help of the L I C., and scholarships were given to the scheduled caste students. We cannot deny these facts. In the face of the gravity of the situation, what has happened for the last 25 years . . .

**SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY :** What does the Report say?

**SHRI JANARDHANA REDDY :** The Report says that the situation is serious, but also at the same time it is up to us to help the Government to solve the problem. That is what I want to say. Our Jan Sangh friends were telling that the Congress used it for its political propaganda. It is Congress that was working for their welfare for the last 25 years and it is other parties that were utilising the situation for their propaganda, I can definitely say. We have been exploiting certain shortcomings of our administrative set-up. These shortcomings are due to lack of good officers, committed officers.

But, Sir, when we take into consideration the education that is being given to our scheduled caste and scheduled tribe students, I can only say one thing. The amount which we are now giving in the shape of scholarships to these students, including expenses on books and everything, is Rs 56 per month, which is very meagre. Sir, the hon. Minister has to review it seriously and revise it to help the poor. It is for this reason that in our places there are separate hostels attached to institutions to minimize the expenditure. There are students who want to spend more and for them there are other hostels. So this does not mean segregation. There are other caste students also living with these Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. But I have seen in this Report it is mentioned that segregation is being observed in Lucknow in some hostels. I do not know whether it is due to this sort of difficulty such a system is in use there or whether there is still

segregation being observed in the educational institution. If this is the case it is a matter of shame to us.

Now I want to come forward with a few suggestions to our Government. It is essential to have elementary schools located in Harijan cheris where Scheduled Castes and Scheduled Tribes predominately live. It is bad to have separate colonies for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they have to be mixed up with the other society people and they should study along with the other students and so elementary school provision should be there for all the students. In our own State free education is there right up to college and even postgraduate stage for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So it was news to me when my friend there was telling that in some States even elementary education was not being provided to these students.

**SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY.**  
The Directive Principle of the Constitution is neglected.

**SHRI JANARDHANA REDDY :** I think it is better that we encourage religious organisations to take up this work of improving the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is some of the orthodox religious organisations that created this problem for us and it is better we entrust this job to them and they should come forward to help these Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The education that we are now making available to these Scheduled Castes and Scheduled Tribes is more general education. Of course if there are bright students and if they want they can go in for technical education but generally the education that is being given up to high school classes is of a general nature and when the student comes out of the school he has only a certificate of general education but he has no technical education or job-oriented education. A certain amount of job-oriented education given along with general education up to high school classes will go a long way to solve the problem. In such a case when the student comes out of the school he will have some means of earning of his own livelihood and he will be able to stand on his own. This again of course should not

become a kind of farce just as it happened in the case of basic education. When basic education was introduced in the country it was just this *thakli* business and some other things which were not at all useful to the students were introduced as trades. So when you think of providing job-oriented education, it has to be surveyed properly, planned properly and introduced properly along with general education. Even if it costs more for the Government it should be done so that these Scheduled Castes and Scheduled Tribes and students of other backward classes when they come out of the school will be able to stand on their own legs and will be able to earn on their own.

Sir, lakhs of acres of land were given to the landless poor, especially the Scheduled castes and Scheduled Tribes. As you know in our State there is an Act according to which wherever there is land lying waste the first priority is given to the landless Harijan or the landless Girijan. But by merely giving land to these people the problem cannot be solved. The poor man will keep that land for one or two years and he will be selling it away to some rich man and again he will become landless. So the Government must, in addition to giving them land come forward with some financial help with facilities for irrigation, with seeds fertilisers and other necessary things for at least two or three years. Unless the Government gives them this sort of help there is no point in simply giving them *pattas* and holding *patta* distributing functions. The small farmers scheme is there and this is more for people who own five or six acres. Why not have this scheme diverted to these Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Sir, provision of drinking water facilities, land distribution, housing schemes all these are being entrusted to the panchayat institutions. Sir, I see in this Report observations about a seminar conducted in Lucknow wherein they have clearly observed, "The Panchayat Raj institutions have not played the anticipated role in the removal of untouchability and promotion of the welfare of the weaker sections because of the domination by the higher castes controlling political and economic affairs at the village, block and district levels. The concerned Departments should therefore be the appropriate agencies for implementing the welfare programmes instead of the Panchayat Raj institutions."

I quite agree with these observations. We have to speak about the realities. It is not the theory that can make things better. Panchayat Raj is the lowest rung of the political structure. No doubt there will be political favouritism, and all sorts of things are bound to be there. How can we expect justice to be done especially for these weaker sections at that level? In my own State, in my own place, I have seen that drinking water is being politicalised. The Panchayat Raj people are using the drinking water grants, given by the Central Government or the State Government or whatever it may be, to provide drinking water only to particular people, people who supported them in the Panchayat elections.

**SHRI MAN SINGH VARMA** . Which is the State ?

**SHRI JANARDHANA REDDY** (Andhra Pradesh) : It is not only my own State, Mr. Verma. It may be there in every State of our country. Wherever there are people who want to exploit a situation, who want to politicalise drinking water, the exploitation will be there. So it is not a particular State; I am just quoting my own State. What I mean to say is that these welfare schemes should be taken away from the Panchayat Raj institutions to a separate cell or a separate administration, or they should be entrusted to the Collectors or whosoever is directly under the control of the Government, in which case this sort of political activities will not be there.

With regard to jobs, Sir, the other day I was hearing the answer of our hon. Minister for Finance that the State Banks were still not implementing these reservations but that they were at it. They still say that the situation is there like this. Also there are certain universities which are not following the reservations and are not giving seats as well as appointments. It is up to the Education Ministry now to take it up, call for reports from the various universities and do them justice. We are bound to help them for years to come.

Sir, Government has got good intentions to solve the problem of these unfortunate people. It is for us to come forward with proper schemes and help the Government to solve this problem. I can only say that this is not a problem which Professor Nurul

Hasan or someone can just think over and do away with it. The injustice being done to them for ages. It is a problem to which we should give human consideration and come forward with our suggestions, not political suggestions, but suggestions containing concrete ideas, and try to solve the problem.

So, Sir, it is a report which everyone has to go through properly, and our Minister should give serious thought to it. And this is the opportune time. On account of our leadership these activities for the poor gained a momentum and this is the right time to introduce the right schemes and thus uplift the under-privileged who have suffered for ages together.

Thank you, Sir.

**SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON** (Kerala) : Mr. Vice-Chairman, Sir, it is an irony that after celebrating yesterday the silver jubilee of our independence we are now discussing the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. One of the most important objectives of our independence was to see that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who suffered untold miseries before independence, would be saved from their agony and anguish and from this sort of social oppression to which they are subjected. Our Constitution itself has provided for the abolition of untouchability, for special efforts to solve their problems, etc. It would be wrong to say that nothing has been done, but unfortunately whatever has been done is so inadequate that the effect is that practically nothing has been done. In the meantime, new forces of exploitation and oppression have come to the surface. Even what was done earlier has been negated by the new forces of exploitation and oppression. Now, Sir, the fact is that the situation with regard to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is such a shameful thing on our national character that we cannot go on with this sort of thing any longer. If you take it historically, the sort of treatment which we are giving to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes belongs to the age of barbarism. Our country cannot claim to be living in a modern age. We cannot claim that we are a modern people

as long as the sort of treatment which belongs to the age of barbarism is continued to be given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, I do not think we can claim that we are a civilised people. As long as we do this sort of thing we remain barbarians and this blot has to be removed.

Secondly, in the economic sphere the existence of 120 million people, who are beyond the pale of the normal economic activities of the society, is a big drag on the society itself. It creates such an inefficient production mechanism that the whole economic development is retarded because you keep 120 million people out of the pale of development. Therefore, our whole economic development itself is retarded, becomes inefficient and it is a drag on our future.

Thirdly, politically because these people are kept away from the normal democratic and political life, democracy is endangered and, therefore, unless we do away with this discrimination against the Harijans, democracy in this country can never be safe. We cannot say that we have got democracy here, because the moment one-fifth of our population is denied the basic human rights, there is no democracy. All this talk of democracy and India being the biggest democracy is a farce as long as 120 million people in our country do not have the basic human rights. There is no democracy in this country and in this country there is what may be called idiocracy.

Then, Sir, apart from that, this House has very often discussed the Ian Smith regime in Rhodesia for discriminating against the Black. Have we got any right to criticise Mr. Ian Smith of Rhodesia or Dr. Vorster of South Africa or Mr. Nixon of America for their treatment of Negroes or somebody else? No, Sir. We have absolutely no moral right to criticise any of these people as long as in our own country, a much bigger population than the Negro population in America of the Black population in Rhodesia or South Africa, is being ill-treated and is being denied any right whatsoever. Therefore, it is all hypocrisy that we say in this House whenever something is said about South Africa or Rhodesia. It is all humbug. We say hypocritical things

when we rush to the aid of the black people in South Africa or Rhodesia, but there in our own country 120 million people are being denied any right. When I give a Calling Attention Notice, it is not even accepted, but Rhodesia is accepted. When Calling Attention Notice is given on the oppression of Harijans in India, that is not accepted. It is not considered important at all. The fighting against Ian Smith is considered more important. This sort of hypocrisy has been ruining our country. Our moral fabric has been ruined. Therefore, this continues, what can we do? The problem is not only social because with the development of modern industry and modern techniques in agriculture, the age old problem of social oppression has been superimposed by class oppression. Therefore, the issue has become more complicated. Now it is not only a question of social oppression, discrimination and untouchability but it is also a question of economic exploitation in a very very bad way. For example, you will be surprised to know that in vast areas of the country agricultural labourers have to work for less than Re. 1 a day. This is done by very very modern progressive farmers, this exploitation. Therefore, the problem has become more complicated.

Now Sir, I will not deal with the economic problem which is common to more or less all the poor people, but I will deal more especially with the special problem of social oppression of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Here I want to bring to your notice an article in the 'Times of India'. First of all the question of oppression has taken a new turn with the development of modern capitalism in agriculture. That is what is said here—'Times of India' report dated 14.8.1972 from U. P. :

About 93 per cent of them live in the villages and most of them earn about one rupee a day as agricultural workers. They also undertake various menial jobs, but these service are rendered most as *begar* (on nominal wages or no wages at all).

Harijans of late have been holding meetings and many of them have vowed to put an end to the *begar* system.



What has been the result? The result has been :

Already several clashes between caste Hindus and Harijans have taken place. In one of the earlier incidents on August 28, 1971, in Karela village in Ghazipur district, two persons, including a woman, were killed and 20, including 16 women, received injuries. In another incident in Abishan village of the same district on December 12, guns, grenades and other lethal weapons were used freely and one person was killed on the spot.

Here is the problem. Supposing any landlord had been killed by the Harijans, then there in this House there would have been such a hullabaloo about Naxalites, the villages being attacked by unsocial elements, by extremists, and all that, and Mrs. Gandhi and all the rest of the folk would have risen that extremism should be put and end. When landlords kill Harijans, there is no noise. This sort of hypocrisy how can you tolerate? A Harijan's life is expendable but a landlord's life is precious. This is our idea of democracy.

The huts of 14 Harijans were set on fire in Chahtona village in the Jaysingpur area by some Thakurs in May this year following their refusal to work on wages of 12 to 25 paise per day.

Why I said about these wages? Here is very shameful incident. Many Harijan agricultural labourers in this village, that is, in the village of Behara in the Mirzumuradpur area, the constituency of the Chief Minister of U. P., have long been working on the ridiculously low wage of Rs. 3 per month. It is not Rs. 3 per day, it is Rs. 3 per month and 1.6 kg. of coarse grains a day. This is what you get after 25 years of independence; after all the tomtom you have made about the progress you have achieved you get Rs. 3 a month. What do you say to this sort of situation? This is happening in God's own Uttar Pradesh, the Pradesh produced all the Prime Ministers of this country, and so, you can imagine—the representatives of that region are ruling this

whole country. So, you can imagine why our country is not progressing. This is the whole trouble with our country. All this hypocrisy is going on.

I had been working in this Committee of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Gujarat is the State where Mahatma Gandhi was born and I was thinking that the Gujaratis will be more progressive at least in this matter. But I found that Gujarat is the worst State in the whole of India. True to Gandhiji's teaching—because Gandhiji taught us just to lie low before the landlords or the capitalists exploiting the people—true to that, Gujarat is doing. The reports are there everywhere. I went to Porbandar and you know, in Porbandar itself, the birthplace of Gandhiji, this untouchability is practised in a big way. It is a shameful thing. And you will be surprised to know that in Porbandar Town itself the Harijans cannot enter certain areas. And then they have to carry the night-soil on their heads. After 25 years you have not been able to remove it. And in Meh-sana Town, we saw—there were to restaurants in which the Harijans were not allowed. The Harijans had to take the cups and saucers separately kept for them, clean them themselves and take the tea from the shopkeeper outside and outside drink the tea. This shameful thing was going on.

A number of temples in this country are still barred to the Harijans. They cannot enter them, and in this Report it has been specifically mentioned that the wells maintained by the Panchayati institutions in a number of places are barred to the Harijans. Then, Sir, this is what is said about Gujarat—

“Grants to 16 gram panchayats in Gujarat were stopped since Harijans were not allowed to take water from public taps, State's Panchayat Minister, Ratubhai Adani, told Mr. Manubhai Palkhiwala (Cong) in the Assembly today.”

Only in 16 cases action has been taken.

Now, I come to the question of what is called bonded labour. This is another thing. In Gujarat there is a tribe called

Halpati. Fifty thousand of these families are bounded slaves. These people cannot seek employment freely. They are indebted to a particular landlord and each one of them, their children, their grandchildren, have to labour for that landlord for their whole life and for the lives of their children and for the lives of their children's children. But this thing has been going on in different parts of the country in many ways. And the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has given the names of this bounded labour system. In Andhra Pradesh they are called the *Vetti*, it is called in Gujarat as *Hali*, in Kerala, *Valloorkavu Panam*, *Nilpu Pinam*, in M P it is called *Harvahi*, in Maharashtra *Vet*, in Mysore *Jeetha*, in Orissa *Gothi* and in Rajasthan *Sagri*. Therefore this is prevalent in almost all the States, this question of bonded slavery of Harijans and agricultural labour. The Commissioner for Scheduled Tribes and Scheduled Castes has specially mentioned this.

"The high incidence of indebtedness among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is primarily responsible for the existence of the system of bonded labour with which these people are suffering. Article 23 of the Constitution prohibits traffic in human beings and the practice of forced labour, as a result of which forced labour does not appear to exist in the country. However, bonded labour, a modified form of servitude, still persists in some form or the other in a number of States/Union Territories. The various names designated to this practice of bonded labour and the Castes/Tribes subjected to this practice in different States/Union Territories have been given at Appendix XXIX."

This is prevalent in a big way and it is clear that an agricultural labourer who is paid only Rs 3 a month is a slave. What else is he. This is the case in many parts of the country.

Then, Sir, I come to my amendment. Unfortunately it could not be moved because I was not there at that time. This amendment calls for only one simple thing. I do not ask for many things. My amendment says

"and having considered the same, this House is convinced that the Central and State Governments have failed to protect the Scheduled Castes and Scheduled Tribes from oppression, exploitation and discrimination and to implement the constitutional and other guarantees given to them and calls upon the Government to implement within a period of one year at least all the constitutional provisions in regard to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

This is what my amendment calls for. So, it should not be difficult for this House to support it.

There is one more point I want to say and that is about the Tribes. Since independence, the tribals have been a section of people who have most suffered at the hands of the Government, at the hands of the bureaucracy, at the hands of traders and money-lenders. The tribals everywhere have lost their land, they have lost their livelihood and they have become destitute in their own country. This is a serious situation. In certain cases, driven to misery and desperation, when they take up arms, may be their ordinary bows and arrows, the outcry is made that the tribals are resorting to violence. But the violence practised by the State machinery, by the bureaucracy, by the landlords, on the tribals can not be expressed in words. Their situation is so tragic. Once a proud people who owned their own lands, who do not know any caste distinctions, who do not have any class distinctions, they have to day become the slaves of money-lenders, landlords and the bureaucracy. For such a tragic situation you can never find a parallel in one country in the world. The tribals have been brought to such abysmal depths of misery and agony. That is why in Srikakulam, in Naxalbari and in Chota Nagpur they sometimes rise to revolt. What do you do to them? You suppress them with iron and fire. This is what our Government has been doing. What is the way out of the situation? All the laws against alienation of tribal lands have completely failed. Everyone admits it; in no State has it been properly implemented and whatever implementation is there has only gone in favour of the money-lenders and landlords. Therefore, I would suggest two things. There must be a Constitutional amendment to pre-

vent the alienation of tribal lands because laws as such cannot protect them because laws are questioned in the courts and the courts themselves pass orders against the tribals, and the tribals themselves are not in a position to contest their claims in the courts. Therefore, there should be a Constitutional amendment to protect the tribals from alienation of their lands, so that it becomes foolproof. Secondly, in the case of the Scheduled Castes, apart from the implementation of all the other provisions in the Constitution, it is necessary that the agricultural labour unions and all those things should come under the protection of proper trade union laws. They should not be just left to the mercy of the local people to settle. It should come under the labour laws of the country. The Trade Union Act should apply not only to the industrial workers but it should apply also to the agricultural workers so that they can fight for better wages, minimum wages etc.; they should have some sort of protection. Thank you.

**श्री भूपेन्द्र नारायण मण्डल (बिहार):** उपसभ अध्यक्ष महोदय, जो हमारा भारतीय सविधान है, उसके उद्देश्य में एक बात यह दी गई है कि व्यक्ति की गरिमा कायम हो और देश में एकता कायम हो। इस बात पर जोर दिया गया है और इसी उद्देश्य को सामने रख कर समूचे विधान का ड्राफ्ट हुआ है। इसी चीज को मद्दे-नजर रखते हुए सविधान में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइव्स और अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में प्राविजन किया गया है। इस सविधान में राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह बीच-बीच में इस सबध में कमिशन विठला सकता है ताकि वह इन लोगों की दशा के बारे में जाच कर सके। इस तरह का कमिशन पहले शुरू में कायम किया गया था, लेकिन उस कमिशन की जो रिपोर्टें थी वह आज तक पार्लियामेंट के सामने नहीं रखी गई। क्या नहीं रखी गई, इसका एक कारण है। कारण क्या है, इसका जिक्र मैं पीछे करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो कुछ सविधान में दिया गया है अन्य बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए,

शिड्यूल्ड क्लास के लोगों के लिए, शिड्यूल्ड ट्राइव्स के लोगों के लिए उसको पूरी तरह से अमल किया जाय। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कुछ किया गया है, कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी किया गया है वह बहुत कम है, इससे भी ज्यादा सरकार को करना चाहिये।

हरिजन, अदिवासी तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राष्ट्रपति द्वारा बहाल कमिशनर ने जो रिपोर्टें निकाली है उसमें लिखा है "अवर बैकवर्ड क्लासेज," उनका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि उसका भी जिक्र इसमें होता चाहिये था ताकि यह मालूम हो सकता कि उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनको गवर्नमेंट में कितना प्रतिनिधित्व मिला है, साम्प्रतिक दृष्टि से वे कैसे हैं—इस तरह की सारी बातों में उनकी उन्नति हुई या अवनति हुई है, इस तरह कि रिपोर्टें इसमें रहनी चाहिये थी जो कि नहीं रखी गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस दृष्टि से बैकवर्ड समूह के लिये राष्ट्रपति द्वारा बहाल जो कमिशनर है, उसको इस बात पर विचार करना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हू कि जहां तक सर्विसेज का सवाल है मुझे डर है कि स्वतंत्रता के शुरू होने के समय से अन्य बैकवर्ड-क्लास को संख्या गवर्नमेंट सर्विस में जितनी होनी चाहिये थी, शायद उतनी नहीं है। है या नहीं, यह बात तो सर्वे से मालूम होगी, लेकिन मुझे डर है कि शायद नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनका परसेटेज सर्विसेज में रिजर्वेशन होना चाहिये। हमारी पार्टी इस बात पर बराबर जोर देती रही है कि हिन्दुस्तान का जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे हरिजन हैं आदिवासी हैं, सूद हैं, पिछड़े वर्ग में स्त्री भी हैं, मुसलमानों का जो पिछड़ा समाज है, क्रिश्चियनों में जो पिछड़ा समाज है, इस

[श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल]

तरह के जो लोग पिछड़े समाज में रह गये हैं, उनकी संख्या हिन्दुस्तान में करीब 95 प्रतिशत है। इसलिए इस तरह के लोगों को सरकार में, राजनीति में, व्यापार में, शासन में और दूसरी जगह प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। जहाँ कहीं भी इन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाय, वहाँ पर 60 प्रतिशत वेंमा ही दिया जाय, ऐसी नीति हमारी पार्टी की है और उस नीति के लिए हम लोग बराबर लड़ते आ रहे हैं।

हम से कुछ पहले बिहार के श्री भोला शास्त्री ने जिक्र किया था कि एक पार्टी ने—जो दावा तो करती है—किसी हरिजन को मिनिस्टर नहीं रखा था...

श्री भोला पासवाना शास्त्री हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, ये माने भले ही लगा ले।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल : मेरी पार्टी का नाम नहीं लिया तो ठीक है, लेकिन मैं अपने मुँह से इस बात को कहता हूँ कि हमारी पार्टी की सरकार हरिजन को जगह नहीं दे सकी थी। न देने का क्या कारण था ? न देने का कारण था पार्टी का आन्तरिक संघर्ष। वह संघर्ष क्या था ? वह संघर्ष था अपरकास्टइज्म और लोअर कास्टइज्म का उसी की वजह से वह नहीं हो सका। वह हमारी पार्टी के अन्दर ही नहीं बल्कि समूचे हिन्दुस्तान के अन्दर है। इसलिए बार-बार बैकवर्ड क्लासेज की भलाई से संबंधित कमेटी की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, बार-बार उस पर अफसोस किया जाता है। क्यों ऐसा होता है ? क्योंकि आज यह व्यक्ति जिसको अपरकास्टइज्म कहते हैं, वह इतनी प्रबल हिन्दुस्तान में हो गई है कि वह कमजोर वर्ग को बढने नहीं देना चाहती है। यह शक्ति हाल में बहुत बढ गई है इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में बल्कि अपरकास्टइज्म को छोड़िए, ब्रह्मणइज्म शुरू में

जिसने अपरकास्टइज्म को जन्म दिया, वह खुद इतना शक्तिशाली हो गया है कि कन्ज-वेंटिवनैस देश में और भी तेजी से बढ रही है। यह भी एक क्वालिटेटिव जेज हिन्दुस्तान की स्थिति में आया है। इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है।

अभी शैड्यूल्ड कास्ट्स के वेलफेयर वगैरह की कुछ रिपोर्ट निकली है। अभी हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ने हुक्म दिया है कि टेक्नीकल ट्रेनिंग के जो इस्टीम्युशन्स हैं, उनमें रिप्रोजेक्शन का कोटा जितना हरिजन और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का निश्चित है वह उनको मिलते रहना चाहिए, लेकिन उसके मुताबिक नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से मेरीन इजीनियरिंग कालेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो ट्रेनिंग इस्टीम्युशन हैं, उसमें उनका कोटा पूरा नहीं किया जाता और इन ट्रेनिंग संस्थाओं तथा डिफेंस, पब्लिक सेक्टर अडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में एक सम्पर्क बना रहना चाहिए और कोऑपरेशन रहना चाहिए। उस कोऑपरेशन की भी कमी रहती है। कितनी जगहें खाली हुईं, उसके मुताबिक कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसमें हरिजनों का जो कोटा है, उसके लिए कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिये इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस दृष्टिकोण में भी इस बात पर विचार किया जाय। जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, उनकी बहाली में कितने हरिजनों की जरूरत पड़ेगी जितना संरक्षण उनको है, इस बात की जानकारी रहनी चाहिए। इसलिए दोनों का सम्पर्क रहना चाहिए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अडमिनिस्ट्रेशन में कितनी जगह रिक्त होनी है, यह बात किसी को मालूम नहीं होती है। इसलिए अच्छा होगा कि जो प्लेसमेंट आफिसर है, उसको इस बात की खबर दे देनी चाहिए कि

पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कितने लोगों का ज़रूरत है और तब यह निश्चय कर सकेगा कि उनमें कितने हरिजन या शेड्यूल्ड ट्राइब के आदमी बहाल करने की ज़रूरत है। जो एम्प्लाय-मेंट एक्सचेंज है और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उन दोनों में सहयोग रहना चाहिए। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से जो लोग भेजे जाते हैं और जो वहां पर नहीं लिए जाते हैं, उनके बारे में रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वे लोग क्यों नहीं लिए गए और उनके नाम और उसके कारण भी साथ-साथ आने चाहिए और जितने लोगों की बहाली नहीं हुई है, उतने के लिए नये लोगों की लिस्ट की मांग करनी चाहिए, जिससे उनकी बहाली पूरे कोटे के मुताबिक हो सके। जो अभी सिलेक्शन बोर्ड है उस सिलेक्शन बोर्ड में कम से कम एक हरिजन और एक शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी रहना चाहिये, बल्कि जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि उसको उनका चेयरमैन बनाना चाहिये। अगर वह हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर वह संख्या में कम रहता है, फिर भी उसका जो इंपलुंस रहता है, उसकी वजह से इन लोगों को न्याय मिल सकेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको रहना चाहिये।

अभी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इनकी जितनी बहाली हो सकी है, वह संख्या उल्लेखनीय नहीं है। वह संख्या इतनी कम है कि वह उल्लेख करने लायक नहीं है। हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड में सिर्फ एक आदमी की बहाली की है। 47 आदमी ऐसे थे जिनके पास फर्स्ट क्लास की डिग्री थी, वे सब एक्जामिनेशन में पास भी हुये थे और उनका इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन वे सब नहीं लिये गये। इसी तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक कम्पनी में 11 आदमियों का इंटरव्यू हुआ था। जो एक्जामिनेशन हुआ था उसमें सबके सब पास भी हो गये थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 आदमी लिये गये और बाकि

आदमी नहीं लिये गये। खुशी की बात है कि गार्डेन रीच वर्कशॉप में 45 परसेंट इन लोगों की बहाली का परसेंटेज होगा, ऐसा एलान किया गया है। उसी तरह से गोम्रा गिपयार्ड लिमिटेड में भी 20 परसेंट इन लोगों के लिए रिजर्वेशन होगा। इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कोई हाथ नहीं रहेगा बल्कि डायरेक्टर जनरल आफ एम्प्लायमेंट एंड ट्रेनिंग जो है उसी की बात इसमें मानी जायगी।

जो अत्याचार हरिजनों के ऊपर हुआ है, उसका थोड़ा सा जिक्र दूसरे लोगों ने भी किया है। मैं भी संक्षेप में कुछ कह देना चाहता हूं। हमारे जिले के नजदीक पूर्णिया जिला है जहां शास्त्री जी आते हैं वहां पर जो बड़ा कांड हुआ था और जिसको लेकर पार्लियामेंट में भी हल्ला हुआ था, उसमें वहां की पुरानी विधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे इवाल्द थे। उसी तरह से यू. पी. में जो हाल में घटना हुई है उसमें एक एम. एल. सी. इवाल्द है। उसी यू. पी. में एक दूसरी घटना हुई है, जहां पर जांच करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ आदमी गये हुये, थे जिन पर इस दुःसाहस के लिए मार लागाई गई और दूसरे जो एम. पी. वहां देखने के लिए गये थे उनको पुलिस प्रोटेक्शन में जाना पड़ा। आज ऐसी परिस्थिति हरिजनों के लिए है। अभी स्वतंत्रता की रजत जयंती हम लोग मना चुके हैं। उसके बाद भी यह स्थिति हरिजनों की है। इसका कारण यह है कि आज भी हिन्दुस्तान में अपरकास्टर्ड इज्म की जो शक्ति है, जिसको रिप्रेजेंटरी शक्ति भी कहते हैं, उसका इतना प्रभुत्व है जिस से न ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल रहा है, न सामाजिक स्थिति को ठीक करने का जो प्रयत्न है वह सफल हो रहा है। सबकी जड़ में वही है और इसलिए उसी के सुधार की ज़रूरत है। उसी सुधार के लिए हम लोगों का सुझाव था जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी-बड़ी जगहों में

[ श्री भूपेन्द्र नारायण मडल ]

95 पर सेंट नहीं तो कम से कम 60 पर सेंट से अधिक लेना चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो हिन्दुस्तान में निश्चित तरीके से क्वालिटीव वेंज आयेगा। और तृतीय तकलीफ आज हिन्दुस्तान में छोटे लोगो को है उस तकलीफ में कमी होगी।

SHRI C. P. MAJHI (Orissa) . Mr Vice Chairman, Sir, the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has taken great pains to prepare this voluminous Report. This Report is indicative of the problems facing the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. Of course, there are many shortcomings and failures which have been indicated in this Report. It is a fact that in spite of the protective measures and provisions in the Constitution and under the various Acts, the economic conditions of these people have not undergone much of a change. In certain areas of the country, especially in Orissa and in some parts of Bihar, these people are still living in very deplorable conditions. They are living in a state of slavery, I mean, economic slavery. If in India 50% of our population is living below the poverty line, I am sure that 90% of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe population is much below the poverty line. Not that the Government has not taken any measures for their upliftment, not that the Government has not realised the problems confronting these communities, but, Sir, the agencies through which these schemes are implemented have always taken advantage of the ignorance and backwardness of these unfortunate people and they have exploited them. Sir, I may kindly be permitted to cite a few instances of failures of the Tribal Welfare Department of the Government of Orissa

Sir, this Department is making a very costly experiment on the tribal people. This Department had started some time back a large number of multi purpose co-operative societies and Village Welfare Centres to save these communities, I means, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities, from the unscrupulous traders and money-lenders. But, Sir, all these schemes met with failures and the entire assets of these societies were frittered away. A huge sum of money was thus wasted.

Similarly, a very large sum of money was spent for construction of Adivasi colonies. But, unfortunately, many of these were left half-done and many were now in a state of dilapidated condition and occupants have deserted them. Colony schemes may be useful and successful for industrial towns, But where the population is mainly of farmers and agriculturists, these schemes cannot be of any use to the tribal people. They cannot leave their parental homes and properties, however small, only to stay in the colonies.

The tribal people have not been able to derive any benefit from the cooperative societies. These institutions, specially in Orissa, have become centres of corrupt practices, and most of the tribal people who took cooperative loans have become defaulters. They are not able to repay them and now the money is being realised by the Government through certificate cases. The cooperative loans have become more painful than the loans given by money-lenders.

The scheme of tribal development blocks has also met with the same fate. The money spent in these blocks has mostly benefited people other than tribals. This has happened because non-Adivasis would take advantage of the scheme better than the tribal people. Adivasis are a set of people who are psychologically very much scared by Government officials themselves because of age-old practice of torture and oppression done to them. Therefore, they do not come to government officials for any help. And to help them it is necessary that the attitude of the agencies and Government servants who are charged with responsibility of implementing the schemes should change. These people require a special treatment to regain their freedom.

In the matter of employment, the Scheduled Caste candidates are very much neglected, specially in my State, even in the Departments which are in charge of implementing the schemes for welfare of the tribal people, hardly 10 per cent of the Scheduled Tribes are there, although the Government of Orissa has issued a circular that 24% of the vacancies are reserved for Scheduled Tribes. Government have all along stated that suitable candidates are not forthcoming from the Scheduled Castes and

Scheduled Tribes and, therefore, the vacancies are not filled up. But I am surprised that even the posts of persons for which at present there is no dearth of candidates are not being filled up by the candidates from these communities. It is, therefore, necessary that the outlook of the Government officials should under go a change. The Government of India should bring all the institutions through which the welfare schemes are being implemented directly under their control, and see that more and more Tribal and Scheduled Caste people are provided with employment in the projects and schemes intended for them. In the matter of education also these people are now being given education in ashram-schools but the conditions there are actually very bad. These students who are reading there in these ashrams are like prisoners. I have seen that the tribal students actually are not getting proper food in the ashram schools, which are residential schools. They are given a raw type of food, they do not get enough of rice, enough of pulses. The stipends provided to them is completely inadequate. The quantum of stipend should, therefore, be increased and this should be given to students in time. The pace of development in the field of agriculture should also be accelerated through lift irrigation.

I, therefore, request the Government that the officers who are in charge of these schemes should be given strict instructions that they should give these unfortunate souls better facilities and better treatment and these officials should change their attitude.

Thank you.

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) मैं आज़ादी आज़ादा से 1969-70 के वर्ष के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के उन्नीसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। यह इतना बड़ा विषय है कि आयुक्त ने इसके सम्बन्ध में जो परिश्रम किया है और उसके फल-स्वरूप जो रिपोर्ट तैयार की है उससे हरिजन और जनजातियों के सम्बन्ध में जो स्थिति है, उसकी तरफ देश का ध्यान जाता है।

बान्सव में मान्यवर, यह जो विडम्बना है, यह हमारे धर्म की देन थी जिसके कारण समाज में इस तरह का भेदभाव उत्पन्न हुआ। समाज के अन्दर इस कुरीति को समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें इतनी तो सफलता मिली है कि जनता में यह भावना उत्पन्न हो गई है कि यह एक बुरी चीज़ है और इसको समाप्त होना चाहिये। उसी को समाप्त करने के लिए संविधान में जो व्यवस्थाएँ की गई हैं और उसके अनुसार संसद में और देश के विभिन्न विधान मंडलों में जो कानून बनाये गये, उनके अनुसार हम यह देखते हैं कि जो अनट-चैबिल्टी ऐक्ट बनाया गया था, उसका जो कार्यान्वित हुआ, उसके अनुसार जो सख्ता आई उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात, मध्य प्रदेश में सब से अधिक इस कानून का उल्लंघन किया गया और इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हुई उसमें अविकाश में आखिर में जाकर समझौता हुआ। मान्यवर, और राज्यों में भी इस कानून का उल्लंघन हुआ। समाज के इतने कमजोर वर्गों के साथ जो अन्याय होता है उस हेतु वह पूरी तरह से कानून का लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि ये लोग अदालतों में पुलिस में जाकर अपनी बात की पूरी रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं जिसके कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। इसके लिए मान्यवर, मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक है कि ये दो बातें की जाय।

एक बात तो यह होनी चाहिये कि इस वर्ग में शिक्षा का प्रसार हो और जागृति हो। दूसरा, इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए जो शासन-तंत्र है उसमें इनका बाहुल्य हो। जब तक शासनतंत्र में हरिजनों का या जनजातियों का, जो पछिड़े वर्गों के हैं, उनका बाहुल्य नहीं होता है तब तक आप कितने ही कानून बनाते चले जाइये, जब तक उन कानूनों को लागू करने का काम ऐसे लोगों के हाथों में नहीं होगा जिनके दिल में इन लोगों के प्रति प्रेम हो,

तबतक इस तरह के कानून से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

श्रीमन्, इसी सन्दर्भ में यह माग भी बार-बार दोहराई जाती है, देश में उठती रहती है कि नौकरियों में भी इन लोगों को सरक्षण प्राप्त हो और उसकी पूर्ति होनी चाहिये। जो आकड़े इस रिपोर्ट में दिये गये हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि जो आरक्षण है उसकी पूर्ति किसी भी विभाग में पूरे रूप से नहीं हुई है और उसको लागू के लिए जो प्रयास किया जाता है उसमें सफलता नहीं मिली है। आज सरकार सब से अधिक नौकर रखने वाली संस्था है। इसके अलावा जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं, बहुत सी शिक्षण संस्थाएँ हैं—हाई स्कूल से यूनीवर्सिटी तक, उनमें भी उतनी ही नियुक्ति होती है जितनी सरकार की सेवाओं में होती है और इन लोगों के पास भी उतने ही साधन सेवा करने के लिए होते हैं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस क्षेत्र में भी इन लोगों को नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस रिपोर्ट को देखने से प्रतीत होता है कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में 1970 में सरकार की ओर से इस प्रकार के आदेश निकाले गये थे कि हरिजन और आदिवासियों के लिए जगह सुरक्षित रखी जानी चाहिये। लेकिन मान्यवर, मुझे अफमोस के साथ कहना पड़ता है कि अधिकांश पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में इस तरह की आज्ञा नहीं निकाल पाये जिसकी वजह से कोई भी इन अन्डरटेकिंग्स में इन जातियों का आदमी नहीं लिया गया। यह जो फिगर्स दी हुई हैं उनको देखने से भी मालूम पड़ता है कि विश्वविद्यालयों में इस चीज की पूर्ति नहीं हुई है। पहले, दूसरे, तीसरे क्लास के लोगों की संख्या नगण्य है, केवल एक, दो और पांच प्रतिशत है और चौथे श्रेणी की केवल 17 प्रतिशत।

इसके अलावा जो स्कूल प्राइवेट तौर पर चलते हैं, हर स्टेट में इस तरह की शिक्षा संस्थाएँ हैं और इन शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भी वही सुविधा प्राप्त है जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त है। इन लोगों को पेंशन मिलती है और दूसरी बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त हैं। लेकिन वहाँ पर कितने हरिजन काम करते हैं, उसका कोई असेसमेंट नहीं किया गया है इस रिपोर्ट में। मैं समझता हूँ कि आयुक्त को और सरकार को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिये कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेटली चलाये जा रहे हैं उनमें हरिजनों की नियुक्ति की जाती है या नहीं? मैं समझता हूँ कि उनमें हरिजनों की संख्या नगण्य है क्योंकि वहाँ पर जो जो भर्ती होती है वे अलग अलग संस्थाएँ करती हैं। कहीं कहीं अब साल भर से बोर्ड बन गये हैं और उनमें हरिजनों का स्थान बिल्कुल नगण्य है। अगर आप इन लोगों को सर्विस में जगह नहीं देगे तो फिर चाहे आप देश में समाजवाद कायम करें या चाहे कोई दूसरा वाद कायम करें, इस चीज को लागू करने में, इसको क्रियाशील बनाने में, इसको नफास करने में जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हीं के हाथ में है। और सरकार भी जो योजना बनाती है वे भी उन्हीं कर्मचारियों के बल पर चलती हैं।

हम देखते हैं कि आप चर्चा करते हैं कमिटेड सर्विसेज की। वह दूसरे सन्दर्भ में आप कहते हैं, लेकिन जहाँ तक हरिजन या पिछड़ी जातियों का सवाल है मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें जो सर्विसेज हैं वे हरगिज-हरगिज कमिटेड नहीं हैं और न उन लोगों के दिमाग में, जो इस बात को कहते हैं, यह भावना है कि ये सर्विस, हरिजन और गिरी हुई परिगणित जातियों के लिए कमिटेड हो, उनके प्रति ईमानदारी के साथ कार्यवाही करें क्योंकि जो सेलेक्शन बोर्ड बनते हैं, जो नियुक्ति करने के अधिकारी हैं वे सबके



सब वे ही है, इसलिए एक न एक बहाना करके वे निकल जाते हैं और उनकी नियुक्ति नहीं होती, सरकार की तरफ से कोशिश कितनी की हो। अगर बाकई में सरकार चाहती है कि इन जातियों को सरकारी नौकरियों में स्थान मिले तो मैं समझता हूँ कि साल दो साल के लिए इस प्रकार का ब्लेकेट रूल बना दे कि जब तक हरिजनो के कोटे की सख्या की पूर्ति नहीं हो जायगी तब तक दूसरो की भरती नहीं होगी। तभी इसकी पूर्ति हो सकेगी अन्यथा हमें नहीं दिखाई देता कि जो आरक्षण का प्रतिशत है वह पूरा हो पाएगा क्योंकि जो सर्विसेज है वे परिगणित जाति के लिए कमिटेड नहीं है और उनको कतई परवाह नहीं है क्योंकि ऊपर से नीचे तक उनकी पहुँच है क्योंकि वे जानते हैं कि जो श्रेणीबद्ध हिन्दू धर्म है उसमें उनकी पहुँच है और उसके अनुसार कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता अगर हिन्दू धर्म से इसे समाप्त करना है तो जातिप्रथा समाप्त होनी चाहिए। अगर जातिप्रथा जीवित है तो वह शादी के बल पर जीवित है। कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी आर्थिक सिद्धान्त को मानता हो, आपस में एक दूसरे से मिल जुल सकते हैं लेकिन जब शादी अपने लडके या लडकी की करनी होगी तो फट से अपनी जाति के अन्दर घुस जाएंगे। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। अगर समाज से इस बुराई को खत्म करना है तो इस बात की जरूरत है कि पहले जाति प्रथा समाप्त हो जिससे हिन्दू धर्म ऊपर उठ सके और जातिप्रथा के बल पर जो यह व्यवस्था चल रही है वह खत्म की जा सके। इस सम्बन्ध में मौलिक रूप से इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा गया है और न सरकार सोच रही है कि कैसे हिन्दुस्तान से जातिप्रथा को खत्म किया जा सकता है। आज जातिप्रथा का बोलबाला हो गया है। कुछ समय पहले आर्य समाज का प्रचार हुआ, था और स्वामी दयानन्द ने प्रचार किया कि लोग अपने नाम से जातिसूचक शब्द हटाए,

लेकिन आज समाज ऐसा बनता जा रहा है कि जाति विशेष की प्रतिष्ठा होती जा रही है। जो स्वतंत्र और निष्पक्ष कहे जाते हैं ऐसे लोग भी जातिगत लोगों को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वे समाजवाद की बात करते हों, साम्यवाद की बात करते हों। यही नहीं जो बड़े समाजवाद के अलम्बरदार बने हैं। मुख्यमंत्री कई प्रदेशों में बने हुए हैं वे सामाजिक रूप में पैर छुआना चाहते हैं। सेन्ट्रल हाल में मैंने देखा है कि कुछ जाति के लोग पैर छुआते हैं। जब समाज इतना गिरा हुआ है, जब राजनीतिक स्वार्थ के कारण एक नेता के पैर लोग इसलिए छूते हैं कि वह अमुक जाति का है, इसलिए नहीं कि उसमें इतने गुण हैं, तब तक यह चीज कैसे दूर हो सकती है। जो बड़े गुणी लोग हैं उनके कोई पैर नहीं छूता है, अमुक जाति के हैं इसलिए पैर छूते हैं। जब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक ऐसे लोगों के हाथ में देश का शासन होगा तब तक हमें यकीन है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या को राजनीतिक उद्देश्य से जीवित रखने की कोशिश की जाती है। यह समस्या खत्म नहीं होगी जब तक इसका राजनीतिक लाभ मिलता रहेगा।

इस सन्दर्भ में मैं पूछना चाहता हूँ—आज न्याय मंत्री जी बैठे हुए हैं—इस देश में कितने हरिजनो को हाई कोर्ट का जज बनाया गया है? हरिजनो को जज क्यों नहीं बनाया जाता है? अगर आप यह दलील दें जो अंग्रेज देते थे कि तुम लोग काबिल नहीं हुए हो इसलिए हिन्दुस्तान का शासन नहीं कर सकते और आप कहें कि वे काबिल वकील नहीं हैं इसलिए उन्हें हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कई ऐसे जज हैं जिनकी वकालत नगण्य थी लेकिन शासन में पहुँच होने के कारण वे जज हो गए लेकिन अफसोस है, इस रिपोर्ट में लिखा है कि हाई कोर्ट ने मुन्सिफ बनाने तक की स्वीकृति तो

[ श्री श्यामलाल यादव ]

दे दी लेकिन जहां जज बन कर बैठता है वहां हरिजन नियुक्त नहीं हो सकता। डेडवूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स के योग्य वकील मौजूद है लेकिन आपकी निगाहें उन पर नहीं हैं, मैं जानता हूं कि वे योग्य हैं और मैं उनको बैठा सकता हूं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का। जब सविद की सरकार थी तो हमने एक हरिजन को सरकारी वकील बनाया। यह वैसे ही हो गया जैसे विश्वनाथ मन्दिर में कोई हरिजन घुस गया हो। उसी प्रकार हरिजन सरकारी वकील बना दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब राष्ट्रपति शासन था, जब प्रधान मंत्री के सीधे हाथों में उत्तर प्रदेश का शासन था तो उस सरकारी वकील को उसके पद से हटा दिया गया। उसके साथ हटाये गये दूसरे वकीलों को फिर नियुक्त कर दिया गया। हाई कोर्ट में जो सरकारी वकील हटाये गये थे राष्ट्रपति शासन में, उनमें कोई विशेष योग्यता नहीं थी, लेकिन वे फिर से इस लिए नियुक्त कर दिये गये क्योंकि वे उच्च जाति के थे। उच्च जाति के होने के कारण उनकी अयोग्यता पर भी पर्दा डाल दिया गया। लेकिन हरिजन वकीलों पर पर्दा डालने वाला न कोई यहां दिल्ली में था और न लखनऊ में था। यह बड़े अफमोस की बात है कि जो पाबर के स्थान होंगे, जो प्रतिष्ठा के स्थान होंगे वहां पर आप हरिजनों को बैठायेगे नहीं। जो चपरासियों के स्थान हैं वहां पर आप हरिजनों को बैठा भी दें तो उससे कुछ होता जाता नहीं है। वैसे जो स्वीपर्स की संख्या मैंने देखी उसमें भी सेंट परसेंट हरिजन नहीं है। उसमें भी दूसरे लोग घुस रहे हैं। म्युनिसिपैलिटियों में दूसरे लोग जमादार हो रहे हैं। अब वहां पर जमादारों के स्थान पर गैरहरिजन काम करते हैं। उनको जमादारों के ऊपर काम करना पड़ता है। इस लिए वे जमादार बनने को तैयार हैं।

अब आखिर में मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि जो अत्याचार होते हैं उन पर

बहुत से लोगों ने ध्यान दिलाया है। मैं इसको कहना नहीं चाहता।

एक मौलिक बात यह कहना चाहता हूं कि उनकी आर्थिक प्रगति के लिए जो सुझाव दिये जायें, जो कार्य किये जायें उनका हमें ज़रूर स्वागत करना चाहिये, लेकिन ऐसा हमारा विश्वास है कि हरिजनों का केवल ज़मीन बांटने से उनकी गरीबी को नहीं दूर किया जा सकता। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़मीन बहुत से हरिजनों के पास नहीं है। उनको ज़मीन देने का भी सुझाव है। लेकिन एक सुझाव आयुक्त ने यह दिया है कि जिन की अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं उनकी होल्डिंग्स को इकोनामिक बनाया जाय। यह विचारणीय विषय है। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव पास किया है अपने अधिवेशन में उसमें यह कहा है कि जो हरिजन भूमिहीन हैं उन्हें ज़मीन दी जाय। वह बात सही होगी या जिन हरिजनों के पास अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं उनको और भूमि दी जायगी ताकि उनकी होल्डिंग्स इकोनामिक हो न जायें और जो दूसरे हरिजन हैं उनको खेती के अलावा दूसरे पेशों में लगाया जायगा ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। अभी एक साथी कह रहे थे कि उनको जो ज़मीन मिलती है उसको वे बेच बेते हैं। क्यों न बेच दें। जब अनइकोनामिक होल्डिंग्स होगी तो उसमें उतनी पूंजी नहीं लगाई जा सकती और उसमें एक हल से खेती नहीं हो सकती। ऐसी हालत में वह कैसे खेती कर सकता है। इस के लिए मेरा सुझाव है और इस रिपोर्ट में भी मैंने देखा है कि ऐसा विवरण दिया गया है कि जो अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं उसको लाभकर बनाया जाय और जिन लोगों के पास खेती नहीं है उनको दूसरे पेशों में लगाया जाय। सारे लोगो को आप खेती में नहीं लगा सकते। न इतनी खेती है और न इतनी खेती मिलने वाली है। तो फिर इन लोगों को दूसरे धंधों में, दूसरे रोज़गार में लगाया जाय। इस सिल-

सिले में कमिश्नर ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ऐसे बहुत से कोटा देती है, पर्मिट देती है, लाइसेंस देती है और उनको सरकार आम लोगों को दिया करती है। अगर आप उसमें इस बात की तरजीह दें कि जो हरिजन है उन्हें हम 15,20 परसेंट या एक तिहाई दिया करेंगे तो उनको व्यवसाय करने में भी सुविधा होगी। दुकान या दूसरे व्यवसाय के काम होते हैं जिन को यदि आप हरिजनों को दें तो वे उनमें लग सकते हैं। अगर खेती में ही आप सब को लगाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी गरीबी हर्गिज नहीं दूर होगी और जो सामाजिक ढांचा गवों का है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी सिलसिले में जो आयुक्त महोदय ने लिखा है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन को भी यह कुछ सहायता देते हैं, वजीफा देने के लिए भी उस को लिखा है। जो कमीशन की रिपोर्ट थी, बार बार उस के लिए कहा गया, लेकिन उस पर संसद में कोई विचार नहीं हुआ, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ और इस लिए उस पिछड़े वर्ग में असंतोष है कि क्यों नहीं उन के संबंध में विचार विमर्श हुआ। उन के कमीशन की रिपोर्ट पर भी विचार होता चाहिए और अखिर मैं कहना चाहता हूँ कि जो अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं उन को भी सर्विसेज में स्थान मिलना चाहिए अन्यथा समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा रह जाता है और उन को सरकारी नौकरियों में या सरकार द्वारा जो नियंत्रित उद्योग धंधे हैं या अन्य शिक्षा संस्थायें हैं उन में उन को कोई स्थान नहीं मिल पाता।

इस के साथ ही मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूँ कि इस आयुक्त को यह अधिकार भी होना चाहिए कि बहुत भी जगहों से जो उन के पास शिकायतें आती हैं और वह उन की जांच करते हैं तो उन के संपर्क में उन को कोई

कार्यवाही करने का अधिकार भी होना चाहिए। जांच कर के केवल रिपोर्ट कर दें, इतना ही काफी नहीं है, बल्कि उन की ओर से कोई कार्यवाही भी तात्कालिक रूप से होनी चाहिए ताकि लोगों को महसूस हो कि जब आयुक्त जाता है, जांच पड़ताल करता है तो उसके बाद कोई फौरी कार्यवाही भी होती है। और उस के बाद उस की रिपोर्ट के आधार पर कोई प्रभावकारी कदम उठाया जा सकता है।

SHRI PAPI REDDI (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, on a point of order. Is there a quorum in the House? I think we have to adjourn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : That is all right. Mr. B. R. Munda.

श्री भइया राम भुण्डा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आदिवासी और हरिजनों के उत्थान एवं कल्याण के लिए 1969-70 साल के दौरान सरकार ने जो जो काम किये, जिन जिन योजनाओं को कार्यान्वित किया और उस के लिए जो धनराशि खर्च की गयी है और उस से आदिवासियों को और हरिजनों को जो फायदा हुआ, जितनी दूर तक फायदा हुआ, इन तमाम बातों को लेकर आयुक्त महोदय ने यह रिपोर्ट तैयार की है जो इस सदन में प्रस्तुत है और जिस पर हम विचार कर रहे हैं। इस प्रतिवेदन को देखने से यह तो नहीं कहा जायगा कि आदिवासियों और हरिजनों के लिए काम नहीं हुआ है। काम जरूर हुआ है। आदिवासी और हरिजन आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा में बढ़ रहे हैं, नौकरियों में बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे अफसर भी बन रहे हैं और उनके और उच्च वर्ग के लोगों के बीच सदियों से जो खाया थी वह भी धीरे धीरे घट रही है। यह खुशी की बात है। लेकिन यह भी नहीं कहा जायगा कि अब जब आदिवासियों और हरिजनों के लिए कोई काम करने के लिए बाकी नहीं है। काम अभी बहुत करना

[ श्री भइया राम भुण्डा ]

Scheduled Tribes

बाकी है, इतना बाकी है कि हम कई वर्षों तक काम करते रहे तो भी वह काम अधूरा ही रहेगा असल में यह काम 1950 से आदिवासियों और हरिजनों के लिए शुरू किया गया था जब कि हमारे देश में बड़े बड़े नेता मौजूद थे। डा. राजेन्द्र प्रसाद थे, प. जवाहरलाल नेहरू थे, प. गाविन्द बल्लभ पंत थे और देश में आदिवासियों के और हरिजनों के महान सेवक ठक्कर बापा थे। ठक्कर बापा एक इंजीनियर थे। गुजरात के रहने वाले थे और आदिवासियों और हरिजनों की हानत देख कर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आदिवासियों और हरिजनों के काम में लग गये और जब तक वे जीवित थे तब तक वे काम करते रहे। और जब वह भारतीय संविधान बन रहा था तो उनसे भी राय ली गयी थी कि आदिवासियों और हरिजनों के लिए किस तरह से संविधान में सुविधायें दी जाय, किस तरह से उन के लिए काम किया जाय और उन की और औरों की राय से संविधान में जो सुविधायें दी गयी हैं उन सब को ले कर

आज आदिवासियों और हरिजनों के 5 P M बीच में काम चल रहा है। उस समय जो बड़े बड़े लोग थे वे आदिवासियों की और हरिजनों की बात करते थे और सोचते थे और वे चाहते थे कि इनको आगे बढ़ाया जाय, हर तरह की सुविधा दे कर के इनको ऐसा बना दिया जाय कि वे भारतीय जनसमुदाय में मिल कर विलीन हो जाय, कोई आदिवासी नहीं रहे, कोई हरिजन नहीं रहे। मैं भी आदिवासी हूँ, बिहार से आया हूँ, छोटा नागपुर का रहने वाला हूँ और जंगल। मेरा घर है और 1948 ई. से ही मैं आदिवासियों के बीच में कार्य करता रहा हूँ, ठक्कर बापा के साथ भी चार-पांच वर्षों तक काम करने का मौका मिला है। उन्होंने 1948 ई. में बिहार जा कर, हमारे रांची में आ कर, उस समय जो चाफ मिनिस्टर श्री बाबू थे और फाइनेंस मिनिस्टर अनुग्रह बाबू थे उनसे और वहाँ के और भी लोगों से राय लेकर एक योजना बनाई और उसे

बिहार सरकार को दिया सरकार ने उसको मंजूर किया, और करीब 6 लाख रुपये हर साल उस योजना को चलाने के लिये स्वीकृत होता था और मैं उस संस्था में शुरू से ही काम करता रहा और बिहार में जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, जहाँ आज हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है, बोकारो स्टील प्लांट है, जमशेदपुर में, लोहे के कारखाने हैं, तमाम कोलियरीज हैं, उन क्षेत्रों में हम लोगो ने करीब करीब पांच सौ स्कूल खोले और 20-25 होस्टल हम लोगो ने चलाये। उस समय यह हमारे श्री भोला शास्त्री जो यहाँ बैठे हुये हैं कल्याण मंत्री थे। उन्होंने कई छात्रावास बनवाये, कहीं सौ लड़कों का, कहीं पचास लड़कों का, इतने अच्छे अच्छे मकान बनाये गये और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग काम कर रहे थे लेकिन आज जब कि देश में बड़े लोग नहीं रह गये तो नतीजा यह हुआ कि यह जो भावना थी आदिवासी और हरिजनों के बीच में काम करने की वह भावना धीरे धीरे मिटती जा रही है और इसका असर इतना खराब पड़ रहा है, खास कर के सरकार के लोगो के ऊपर, कि जो योजनाएँ बनती हैं उन पर काम ठीक से हो नहीं रहा है और इसका नतीजा होता है कि आदिवासियों के बीच में जो तरक्की हो रही थी वह करीब करीब रुक सी गई है। कहने को तो हम कहते हैं कि आदिवासियों और हरिजनों को आगे बढ़ाया जाय लेकिन यह काम ठीक से हो नहीं रहा है।

1950 ई. में सोचा गया था कि दस वर्ष का समय दे कर के, इन लोगो को हर तरह की सुविधा दे कर के, इनको ऐसा बना दिया जाय कि वे भारतीय जनसमुदाय में मिल जाय लेकिन दस साल काम करने के बाद यह देखा गया कि यह काम नहीं हुआ इसलिये 1960 ई. में फिर सोचा गया कि दस वर्ष और कर दिया जाय और 1970 ई. तक कर दिया गया। 1970 पहुँचा तो फिर लोगो ने सोचा कि काम

अभी नहीं हुआ है और इसको और 1980 ई. तक कर दिया जाय। यह जो समय बढ़ाया जाता रहा है हम आदिवासी और हरिजन भी इसको अच्छा नहीं समझते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको ऐसा बना दिया जाय कि हम भारतीय जनसमुदाय में मिलकर विलीन हो जाय हम आदिवासी नहीं रहना चाहते हम हरिजन नहीं रहना चाहते। इस तरह से जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, काम ठीक से नहीं चल रहा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा देने की बात है, आदिवासी और हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने में लाखों रुपया खर्च होता है लेकिन समय पर छात्रवृत्ति नहीं बंटती है। हम अपने यहाँ की बात कह रहे हैं, बिहार के राँची जिले में, इस साल की छात्रवृत्ति अभी तक बंटी नहीं है। कुछ लड़के आज कल मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ रहे हैं, काफी खर्च होता है, सौ डेढ़ सौ रुपया मासिक खर्च होता है और उसके लिये छात्रों को 75 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने की बात है। वह छात्रवृत्ति साल के अखीर में दी जाती है। अभी 1970-72 का सेशन बीत चुका लेकिन उन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। सिंदरी में जो लड़के इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उनकी चिट्ठी मुझे मिली है अभी तक उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। पिछले साल की छात्रवृत्ति साल पूरा होने के बाद दूसरे सेशन में दी गई। आदिवासी और हरिजन लड़के छात्रवृत्ति के भरोसे ही मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने गए हैं, अगर उनको छात्रवृत्ति का रुपया समय पर नहीं बटे तो क्या होगा? कुछ दिन पहले इसी सदन में बात हो रही थी कि देहात में डाक्टर नहीं है। देहातों में डाक्टर क्यों नहीं भेजे जाते। लेकिन इसका यह जवाब दिया गया कि भाई, डाक्टर तो जाते नहीं हैं, शहर के लोग डाक्टर होते हैं, देहात में ट्रांसफर होता है तो जाते नहीं हैं। ठीक है, जाते नहीं हैं,

तमाम ब्लाक में डाक्टर नहीं है। ब्लाक में डाक्टर का रहना तभी सम्भव होगा जब देहात में आदिवासी लोग हों, हरिजन लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, उनके बीच से डाक्टर पैदा करें। जब तक उनके बीच से आप डाक्टर पैदा नहीं करते हैं तब तक देहात के ब्लाक में डाक्टर नहीं रह सकता है। हम लोग अभी स्कूल चलाते हैं, इस समय करीब 100 स्कूल हम चला रहे हैं जिसमें सात-आठ हाई स्कूल हैं, 20 होस्टल है, और हमारी बराबर कोशिश होती रही है कि हमारे लड़के साइन्स पढ़ें, जिससे वे इंजीनियरिंग कालेजों में जा सकें, मेडिकल कालेजों में जा सकें और और वे डाक्टर बनें, इंजीनियर बनें। हमारे राँची कालेज में इस साल करीब करीब 100 आदिवासी लड़के साइन्स पढ़ रहे हैं और ऐसे लड़के हैं जो मैट्रिक में कोई फर्स्ट डिविजन में पास किए हैं, कोई सेकेंड डिविजन में पास किए हैं। ऐसे छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलती है। इसमें एक ढिलाई पड़ गई है। आप उनको आगे लाने के लिए समय बढ़ाते हैं समय 1980 तक बढ़ाया गया है और कितने वर्षों तक बढ़ाते चले जाएंगे यह कहना मुश्किल है। बिहार में आदिवासि खेतिहर होते हैं और यह खुशी की बात है कि हमारे बिहार में कोई आदिवासी लैन्डलेस नहीं है। हर आदमी की अपनी ज़मीन है और इसका कारण यह है कि आदिवासियों ने हमेशा अपनी ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष किया है, इसीलिए आज सब की ज़मीन है और वे खेतिहर हैं। लेकिन उसके बीच, आज 25 वर्ष हो गए आज़ादी पाए हुए, हम पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, बिजली नहीं दे सके हालांकि उस क्षेत्र में बहुत कारखाने हैं जो बिजली की रोशनी से चमकते हैं, रात को लगता है आकाश के सारे तारे उतर पड़े हैं। लेकिन बगल के गांव में ही अंधेरा है, पानी नहीं है।

मैं आपके माध्यम को सरकार को सुझाव

[श्री भइया राम भुण्डा]

देना चाहता हूँ। छोटा नागपुर में जहाँ ट्राइबल है आदिवासी है, वहाँ कई पहाड़ी नदियाँ और झरने हैं, उन तमाम नदियों और झरनों को बांध दीजिए और उनके खेतों में पानी पहुँच दीजिए, तो आदिवासी अपना सारा काम स्वयं कर लेंगे। आदिवासी खेतिहर होते हैं, देहात में रहते हैं, उनके वास्ते मुख्य रूप से दो चीजें कर दीजिए। एक तो शिक्षा दे दीजिए जिसके लिए तमाम स्कूल और होस्टल्स खोल दीजिए छात्र-वृत्ति कम भी दीजिए लेकिन चूँकि वे खेतिहर हैं, अपना आनाज पैदा कर लेते हैं, चावल लेकर होस्टल में रह कर पढ़ेंगे। उसकी व्यवस्था कर दीजिए। जिन क्षेत्रों में स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल खोल दीजिए। हमारे लड़के पढ़ रहे हैं लेकिन लड़कियाँ पढ़ नहीं रही हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए स्कूल और होस्टल नहीं हैं। इसलिए लड़कियों के लिए स्कूल और होस्टल खोल दीजिए। गाँव के प्राइमरी स्कूलों में लड़कियाँ पढ़ती हैं लेकिन हाई स्कूलों में पहुँचते बक्त तक वह सयानी हो जाती है और लड़कों के साथ उनका पढ़ना लोग उचित नहीं समझते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप इन लोगों के लिए दो चीजें कर दीजिये। एक तो शिक्षा के लिए आप जगह जगह स्कूल और छात्रावास खोल दीजिये और दूसरा इनके खेतों में पानी पहुँचा दीजिये। इस के बाद आप आदिवासी को छोड़ दीजिये और वे आगे बढ़ते चले जायेंगे। यही मेरा आप से कहना है।

आपके शहरों में जो हरिजन रहते हैं उनके पास जमीन नहीं है। अब जमीन पर सीलिंग की बात हो रही है। इन लोगों के पास पुरातन काल से जमीन नहीं है। आप शहरों में सीलिंग कर रहे हैं और सीलिंग से जो जमीन मिलेगी उसको आप सब से पहले हरिजनों को दीजिये।

आज से करीब 10 वर्ष पहले हमारे विनोबा जी रांची आये थे और मैं भी उनके साथ घूमता रहा। विनोबा जी को रांची जिले से करीब

30-32 हजार एकड़ जमीन दी गई, लेकिन जो भी जमीन उन्हें दी गई थी वह जमींदारों से मिली थी और अच्छी जमीन नहीं थी। इस तरह जो यह जमीन मिली थी वह हरिजनों को दे दी गई थी लेकिन उसको जोतने के लिए और खेती करने के लिए पैसा उन्हें नहीं दिया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि हरिजन लोगों ने उस जमीन को छोड़ दिया। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरिजन और आदिवासियों के लिये सरकार को जो कुछ भी करना चाहिये वह लगन के साथ करना चाहिये।

जहाँ तक सरकारी नौकरी मिलने का सवाल है उसमें तो इन जानियों के लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है, लेकिन जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, जैसे बोकरो है, जमशेदपुर है, इनमें इन लोगों के लिए नौकरी में रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने बोकारो के डिपुटी परसोनेल मैनेजर से इस बारे में पत्र-व्यवहार किया था। इस पर उन्होंने मुझे लिखा कि हमें कोई भी हरिजन और आदिवासी कैंडीडेट नहीं मिलता है और इसी वजह से हम भरती नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उसके पास एक लिस्ट भेजी जिसमें 55 हरिजनों और आदिवासियों के नाम थे जिसमें से तीन एम. ए. थे, पाच, बी. ए. ग्रान्स थे और 18 बी. ए. थे, और बाकी टाइप जानने वाले तथा अन्य योग्यता रखने वाले उम्मीदवार थे। लेकिन इन में से किसी को भी नहीं लिया गया। दूसरे लोगों को वहाँ नौकरी पर ले लिया जाता है मगर हमारे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारे रांची जिले के करीब 100 बी. ए. पास आदिवासी लड़के हैं, आज वे नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आजकल जो स्कीम बनानी है और उसके लिए जो रुपया एलाट किया जाता है वह खर्च नहीं

किया जाता है। जब वह रुपया खर्च नहीं होता है तो फिर सरेन्डर कर दिया जाता है। इस तरह से हर साल रुपया एलाट होता है और सरेन्डर होता है। मैं आपको लास्ट ईयर की जो बिहार की फिगर है वह आपको देना चाहता हूँ।

आदिवासी होस्टल बनाने के लिए 1971-72 में प्रोवीजन था 1 लाख 75 हजार रुपया। उसमें से सिर्फ 40 हजार रुपया खर्च किया गया है। आदिवासी गर्ल्स होस्टल बनाने के लिए 2 लाख रुपये का प्रोवीजन था। उसमें से केवल 1 हजार खर्च किया गया है। आदिवासी रेजी-डेंशियल स्कूल खोलने के लिए ढाई लाख रुपये का प्रोवीजन था। उसमें से 25 हजार खर्च किया गया है। आदिवासी गर्ल्स होस्टल बनाने लिए जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया का पैसा था वह 80 हजार था, उसमें से भी 25 हजार रुपया खर्च किया गया है। इसी तरह से हर साल रुपया लैप्स होता है। एक साल की बात मैं और कहना चाहता हूँ। मैं एक सस्था चलाता हूँ, उसका नाम आदिम जाति सेवा मंडल है, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ। एक बार 3 लाख रुपया मिला प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए और वह रुपया मिला मार्च की 26-27 तारीख को और उसमें आर्डर था कि इसी मार्च महीने के अन्दर खर्च करो। मैंने बिल बना कर ड्राइंग एंड डिस्ट्रिब्यूटिंग आफिसर डी. सी. को दिया, उन्होंने कहा कि कैसे तीन लाख रुपया दो-चार रोज में खर्च कर सकोगे, भगवान भी नहीं कर सकेगा, उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट को लिख देंगे कि हमारे साल के शुरू में मिला जाय। दूसरे साल नहीं मिला। तीसरे साल 1 लाख 72 हजार रुपया मिला और ठीक वही मार्च की 26-27 तारीख को। फिर मैं बिल लेकर गया और डी. सी. ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, मैं लिख दूँगा, दूसरे साल आपको दिया जायगा। लेकिन फिर वह रुपया नहीं मिला। इस तरह से रुपया दिखाया तो जाता है कि हम इतना कर रहे हैं,

फिर वह रुपया वापस ले लिया जाता है, खर्च ही नहीं होता। इस तरह से जो 20-22 वर्ष पहले आदिवासी और हरिजनों के लिए काम शुरू किए उसके बाद भी वे आदिवासी जहाँ के तहाँ हैं और हम समय बढ़ाते जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि समय निश्चित कर दिया जाय और उसके अन्दर काम हो जाय। जो आदिवासी है, हरिजन है, गरीब परिवार के है—गरीबी तो एकदम से नहीं मिटाई जा सकती—उनको ऐसा बना दिया जाए कि वे अपने हक को लड़कर ले सकें, इतना योग्य निश्चित अवधि के अन्दर उन्हें बना दिया जाय। हम सब गरीब हैं, गरीबी को लेकर किसी को सुविधा देना तो संभव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra). Mr Vice Chairman, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes deserves to be congratulated on his Report. I congratulate him for two reasons, firstly, because in his report he has highlighted some of the very vital and burning problems concerning the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and, secondly, because the Commissioner has also taken courage, to criticise the policy and stand of the Government *vis-a-vis* the recommendations or suggestions which have been made and which are now incorporated in this report. I share the sentiments which have been expressed here by the Members. So far they have expressed dissatisfaction. And I also feel that what ought to have been done in the interest and progress of the Scheduled Castes people has not been done. The Commissioner is not a person appointed under any executive order. He is not an ordinary Commissioner who could be appointed under a statute. But this Commissioner's appointment is in pursuance of the provisions of the Constitution and therefore his position is not analogous to the position of other Commissioners. But unfortunately, his recommendations are not being given due consideration and his report is not considered with the seriousness it deserves.

In the first place I have to point out

[Shri N H Kumbhare]

that this is the 19th report. This House must have considered as many as 18 reports. But my submission is that the Government has failed to set up an administrative machinery to give effect to the recommendations which have been made through these reports. If the reports had been given all due consideration and if the recommendations which have been made by the Commissioner have been implemented, I think much could have been achieved in this sphere. But unfortunately this is not the case. On the contrary, it seems that the Government machinery and especially those who are in the services do not have any sympathy for the cause of Scheduled Castes and Tribes. Instances are not wanting where you can say that they have often adopted a hostile attitude. I will take the example of reservation for the members of Scheduled Castes and Tribes. The figures would give a story by themselves. I will refer you to the Table given by the Commissioner on page 64, wherein it is said that in spite of the fact that the Resolution has come into being for the last 19 years the progress in filling the backlog has been most unsatisfactory. Even in the current year it has been pointed out in this table that the improvement in the position with regard to the reservation has been negligible. In respect of Class I and II services there has been no increase even by 1 per cent and in respect of Class III and IV services the increase is only by 2 per cent. What does it indicate? It indicates that there is something wrong somewhere. If the Government is really sincere to give due representation to Scheduled Castes and Tribes in services, there are other ways open to them. Why should we depend upon the Government officers for giving effect to these provisions on reservation? In this context I have to make a suggestion. Why not we make a law? We are making laws for everything. Every day we are enacting several pieces of legislation. Why don't we make a law whereby if I, as a member of Scheduled Castes, have a right to be appointed to the Government service and am not appointed, I can go to the court of law and secure justice? You can certainly make a law whereby every Scheduled Caste person aspiring to join Government service but is denied that opportunity or every Scheduled Caste employee who is entitled to promotion is denied that promotion will get the right to agitate. He will get a forum through

which he can have his grievances redressed. Why not make a law? Why do you ask us to depend on these officers to make a representation? If you make a survey, you will find that every employee is required to make a hundred and one representations and not a single representation is replied to also. No representation is replied to. Now, I will refer, in this context, to the directives issued by the Government. The Government have said that they have set up a machinery. What is this machinery? They have said that they have given instructions to every authority that they must see that the quota reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is filled up. All right. Then, have you done anything to see that these instructions are complied with or given effect to? There is a provision that a Liaison Officer will be appointed by every Ministry who will scrutinise whether the appointments have been duly made or not. All right. What will he do? The Liaison Officer, who examines the position, will send a report to the Deputy Secretary of the Ministry. All right. Now, my question is this. If, on scrutiny, it is found that a Scheduled Caste man has not been given due representation and in case the Deputy Secretary does not take any action, what should be done thereafter? The person who will otherwise be affected adversely because of the inaction on the part of the Deputy Secretary has no forum through which he can seek redressal of his grievances. He has no remedy available to him and, therefore, the working of the Government scheme has not proved to be giving due representation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, Sir, it is time that we gave a legal right to these Scheduled Caste people and this is my suggestion that I want to make at this stage.

Then, Sir, I would refer to another Controversy. The Scheduled Caste Commissioner used to entertain representations from the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes with regard to their employment, promotions, etc., etc. The Home Ministry says, "No. The Commissioner has no right to entertain all these representations and he has no right to do that and it is not within his competence to do so". This controversy is there over this issue and it will be seen from the re-



port of the Commissioner that the Commissioner himself has said that he is a constitutional authority and therefore, there is the constitutional obligation on the part of the Government to fulfil the obligations towards the Scheduled Caste people and if the requirements are not complied with, there is nothing wrong if he makes an inquiry and satisfies himself. But, Sir, the Home Ministry says that he has no right. Therefore, Sir, the Commissioner has made a suggestion that a legal opinion be sought for from the Attorney General. I do not know whether this suggestion of the Commissioner has been considered. But, I would tell the Government that in view of this controversy it is desirable to take steps so that this controversy subsides, this controversy is put an end to and the right is restored to the Commissioner to entertain representations coming from the Members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if they have got any grievance in respect of their employment.

Then, Sir, the Buddhists who are converts from the Scheduled Castes would like to express their gratitude for the benefit which has been given to them now and which was given previously only to the members of the Scheduled Caste. They are now being awarded scholarships payable to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Since the Buddhists who have been members of the Scheduled Castes in the past and who are now converts have been given this benefit of scholarships payable to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I feel the principle has been accepted that notwithstanding their conversion, they are still economically backward, they still suffer from social disabilities. If this principle is accepted, then, Mr Vice-Chairman, my submission is that the Government should consider giving them the other facilities also which are available to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. My submission is that the benefit of reservation now available for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also be extended to those who are Buddhists now and who have been in the past members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The other problem which when the Scheduled Castes and Scheduled Tribes

community is confronted with has been the economic backwardness. Of course, some of the members have suggested that either these people are partially employed or even if they are employed, whatever wages they are paid, those wages are very meagre. In this context, my suggestion is that if you really want to do good to the people who belong to the Backward Classes, in that event the need of the day is that a national minimum wage should be fixed. With the introduction of a national minimum wage, even those living in the villages would be ensured of a fair return for their labour. If this is done, it will also be a very tangible step towards the amelioration of the economic condition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री डी. के. पटेल (गुजरात) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने 1969-70 का आदिम जाति एवं अनुसूचित जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। मैं केवल अनुसूचित आदिम जातियों के प्रश्नों एवं समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

जैसी कि चर्चा यहाँ हुई, इन पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वह शिक्षा की समस्या है। अब इन लोगों को जो शिक्षा दी जानी है उसमें एक शिक्षा नई तालीम के आधार पर दी जा रही है। कई राज्यों में नई तालीम दी जा रही है लेकिन महात्मा गांधी की नई तालीम के सिद्धान्तों का यथार्थ रूप से उसमें प्रयोग नहीं होता। परिणामतः जब बच्चे उसमें से निकलते हैं आश्रम शालाओं में, पोस्ट बेसिक इंस्टीट्यूट्स से निकलने हैं तो उसके पास कोई उद्योग तालीम नहीं होती कि वह कोई काम कर सके, बढाई का काम कर सके, लोहार का काम कर सकें, ऐसा कोई टेक्निकल ज्ञान उनके पास होता ही नहीं। उनको चर्खा कातने को कहा जाता है, खेतों में लगाया जाता है कि चावल बोड़्ये, जडे निकालिए सारे दिन खेतों के ऊपर काम करवाया जाता है, रात

[श्री डी. के. पटेल]

को भजन कीर्तन करवाया जाता है और इस तरह से बड़े अजनबी ढंग से इस देश में महात्मा गांधी की नई तालीम का शिक्षण दिया जाता है। महात्मा गांधी जी चाहते थे, जहां तक मैं समझता हूं और जो मेरा अनुभव है, कि नई तालीम से चरित्र का गठन हो और ऐसा शिक्षण दिया जाय कि छात्र अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उनमें स्वावलम्बन हो लेकिन इन दोनों सिद्धांतों की दृष्टि से देखता हूं तो आश्रम ऐसे हैं कि जिसको हम प्रेमाश्रम कह सकते हैं, वहां चरित्र गठन नहीं और उसी तरह से स्वावलम्बन की बात लेते हैं तो लगता है कि इनके पास कुछ है ही नहीं। तो ऐसी शिक्षा से अगर हम इस देश में पिछड़ी हुई जातियों का विकास करेंगे तो मुझे लगता है कि सदियां बीत जाएंगी लेकिन यह समस्या वैसी की वैसी बनी रहेंगी, यहां पर प्रतिवेदन पर प्रतिवेदन आते रहेंगे, उन पर विचार किया जाता रहेगा और परिस्थिति यथावत रहेगी। तो उसमें सुधार लाना चाहिए। नयी तालीम की जहां-जहां समस्याएं हैं वहां पर आप प्राइमरी इंजीनियरिंग की शिक्षा दाखिल कीजिए, टेक्निकल सबजेक्ट्स दाखिल करिए केवल कृषि विद्या और वस्त्र विद्या, वह भी बड़ी प्राथमिक अवस्था की वस्त्र विद्या है। चूखें से बुनना, कातना, कपड़ा बनाना अगर सुधरे हुए ढंग से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो मैं समझता हूं, आप आदिवासियों की ही नहीं तमाम पिछड़ी हुई जातियों की कई पीढ़ियों का कल्याण कर देंगे। आज तो जमाना आया है टेक्नोलॉजी का। दूसरी तरफ आप देखिए हायर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरे सबजेक्ट्स, हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में पहुंचने के लिए आवश्यक है जिससे वे डाक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें। ऐसे जो विषय हैं, ये बुनियादी संस्थाओं में इतने अच्छे ढंग से सिखाए नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत हुआ तो परीक्षा में मान आठ नौ विषय लेने के होते हैं और कृषि विद्या, वस्त्र विद्या,

इत्यादि जो हैं इन सबको लेते हुए अंग्रेजी हायर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उसके लिए जितनी सही शिक्षकों की आवश्यकता होती है वह भी पूरी नहीं होती है। परिणाम यह होता है कि उन विषयों के न होने के कारण, उसकी शिक्षा नहीं दिए जाने के कारण सभी पिछड़ी जातियों के कोई लड़के न डाक्टर बनगे न इंजीनियर बनेंगे, न बैरिस्टर बनेंगे। महात्मा गांधी की नई तालीम जो उन पिछड़ी हुई जातियों के लिए ही है उसमें क्या होता है जंगल में एक बड़ा मकान बनाया जाता है, वहां महात्मा गांधी का चित्र रख दिया जाता है और जब उन बच्चे में हम मिलते हैं तो उनमें प्रतिभा देखने में नहीं आती। बच्चा ऐसा दीखता है मानो कोई लावारिस बच्चा है, उसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो ऐसी शिक्षा से उन जातियों को आगे नहीं ले जा सकते। मैं यहां तक कहूंगा कि इन संस्थाओं में भी पाली-टिक्स चली गई है। उसके संचालक खादीधारी महात्मा गांधी के जमाने से कांग्रेस के भक्त होंगे। आए दिन राष्ट्रीय नेता जाएंगे, आदेश देंगे महात्मा गांधी के और ऐसी वैसी बातें चलती रहेंगी, उनकी गार्बेडिंग की जाएगी, उनका बड़ी अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया जाएगा। लाखों रुपए इस तरह से बेकार हो रहे हैं। तो उन तमाम संस्थाओं में सुधार लाना पड़ेगा, और जैसा की आयुक्त की इस 19वीं रिपोर्ट में भी इस बात की और ध्यान दिलाया गया है, Craft based employment oriented education is the need of the hour. ऐसा ज्ञान आप उनको दें। अगर नहीं देंगे, तो उससे कोई फायदा नयी पीढ़ियों को होने वाला नहीं है। आज तो स्थिति यह है कि जब वे बाहर निकलते हैं, हमसे मिलते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या जवाब दें। कई बच्चे चरवाहे बने हुए हैं, उनके लिए और कोई काम नहीं तो चलो, गांव के गाय भैंस चरा लें।

यह उनके विकास का कोई ढंग से कार्य क्रम नहीं है।

इसके बाद, कई आदिम जातियाँ प्रायः वन-विस्तार में रहती हैं तो कहीं वन के नजदीक के वन-विस्तार में रहती हैं। उनके परम्परागत सदियों से चले आए कुछ अधिकार हैं, प्रिविलेज हैं, लेकिन हमारी केन्द्रीय सरकार ने 1952 में एक नई पालिसी बनायी, जिनके कारण उन पिछड़ी हुई वन्य-विस्तार में रहने वाली जातियों के बहुत से अधिकार ले लिए गए। उसका परिणाम यह आया कि उनके ऊपर आर्थिक रूप से भी बड़ा असर हुआ। उनका जंगलों में बांस के ऊपर चरने वाला उद्योग है, उस उद्योग को चलाने के लिए उनको पहले मुक्त में बास मिला था, अब उनको कुछ पैसा देना पड़ना है, परमिट लेना पड़ता है और ये अनपढ़ जंगल में रहने वाले लोग रेंजर्स से कैसे मिलेंगे फारेस्ट ऑफिसर से कैसे मिलेंगे? वे तो उन से ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो ब्रिटिशर करता हो, कोई पराए देश का रहने वाला करता हो तो ये लोग उनके सामने टिक नहीं सकते। वे जैसे भी जंगल से बास लेने की कोशिश करते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनसे पैसा निकलवा लिया जाता है, मुर्गा बकरा उनसे लाने को कहा जाता है और इस तरह से रेंजर साहब, फारेस्टर साहब के यहां हर रोज मुर्गा और बकरा खाने की महफिले चलती हैं। इस तरह से उनसे पैसा निकालते रहते हैं। नजदीक में कुछ कारखाने बने तो जो बांस उद्योग के ऊपर चलते हैं उनको जितना चाहिए उतना बांस मिलेगा लेकिन बांस उद्योग पर जो अपना जीवन यापन करता है और आजीविका प्राप्त करता है उसको बांस नहीं मिलेगा। इसके लिए आप सत्याग्रह कराइये, लेकिन उनमें वह भी हिम्मत नहीं है फारेस्ट डिपार्टमेंट और वनों में जो बस्तियाँ हैं आदिम जातियों की, उनके उनके बीच एक ऐसा सम्बन्ध होना चाहिए

जिससे हमारी जो वन्य सम्पदा है, उसको नुकसान न हो। जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया है।

"In the training programmes of the latter staff of the Forest Department, there is up to now no provision for making them familiar and sympathetic towards the tribal folk so that, instead of being able to secure the co-operation of the tribal people in the national task of conserving our forest wealth, the ground staff often look upon their duties as of a punitive nature. It is possible by wise steps to remove the tension that thus arises, so that both the Forest Department and the tribal communities can work together for a worthy common goal."

फिर जंगल में कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई है। जंगल में जो कामदार मंडलियाँ हैं उनका यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो लेबर है, जो मजदूर हैं उन्हें फायदा हो। हर साल बोनस दिया जाता है। कभी एक गिलास दिया जाता है और कभी एक तस्तरी दी जाती है जबकि मैंने सुना है कि जो लेबर की मंडली है उसका काफी नफा होता है यह भी मालूम हुआ है कि जो बीच में काम करने वाले हैं वह बीच में खा जाते हैं। और श्रम का पूरा फल उन लोगों को नहीं मिलता है। यहां तक कि इन मंडलियों के जो संचालक हैं उनका मीधा संबंध राजकीय दल से रहता है और जब इलेक्शन का समय आता है तो इन मंडलियों का मुनाफा, इनके टैक्स, राजकीय पार्टी अपने दल के प्रचार के लिए उपयोग में लाती है।

आज भी जो वहाँ पर इस तरह के लोग हैं वे अपनी अज्ञानता और गरीबी की वजह से पीड़ित हैं। वहाँ पर जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, लैंड डेवजहमेंट बैक्स हैं, वे उनसे रुपया उधार नहीं लेते हैं, जो मनीलैंडर हैं, जिनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं होता है उन लोगों से रुपया उधार लेते हैं क्योंकि बैंकों से और

[श्री डी. के. पटेल]

सोसाइटियों से समय पर उन्हें रुपया नहीं मिल पाता है। आपके कानून ऐसे होने चाहिए जो सरल हों और जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है।

"The provision of credit to needy peasants is often regulated by rules, which should be amended so that credit may flow more easily to the peasant and he can do without the services of money-lenders."

अन्त में मैं एक बात फिर दोहराना चाहूंगा वैसे माननीय सदस्यों ने भी कही है—कि इश्तहार निकलते हैं, उनमें सिखा जाता है B. C. Candidate will be preferred first. कई भवेदन प्रश्न वहां पहुंचते हैं, प्रार्थनापत्र पहुंचते हैं। जो लोग हाई स्कूल का संचालन करते हैं उनको सकुलर पहुंचा होता है कि तुम्हें 15 परसेंट लेना है इन जातियों में से।

इसलिए इश्तहार में भी लिखा होता है, इन्टरव्यू के लिए भी बुलाते हैं लेकिन फिर उनको अनफिट करके निकाल देते हैं कि वे अनफिट थे, इसलिए हमें दूसरे लेने पड़ें। आज गुजरात के अन्दर जो प्राइवेट स्कूल के इम्प्लाइज हैं उनकी परसेंटेज देखी जाय तो एक दो परसेंट भी शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स के नहीं होंगे। य तो ऐसी पुरानी बातें हों गई हैं जिनको बारबार कहना हमारे लिए भी शर्म की बात है सरकार के लिए भी शर्म की बात है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Any Member to speak? The House is adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at fifty minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 17th August, 1972.